दिनांक 27 FEB 2004 को विधानसभा
प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्यप्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2002

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		v
विहंगावलोकन		vi

अध्याय – 1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
बकाया राजस्व	1.4	6
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.5	7
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ	1.6	7
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.7	9
प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन का प्रत्युत्तर	1.8	10

अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	11
अपील एवं प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निर्वर्तन	2.2	12
संमिश्रित कर की गलत दर का लागू करना	2.3	21
अधिक कर मुक्ति प्रदान करना	2.4	22
शास्ति का अनारोपण	2.5	22
क्रय कर का अनारोपण/गलत दर लागू करना	2.6	23
नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट	2.7	24
सकल विक्रय का गलत विनिश्चयन/छिपाना	2.8	24
कर की गलत दर का लागू किया जाना	2.9	25
प्रवेश कर का कम आरोपण/अनारोपण	2.10	26
निर्धारित समयावधि से पूर्व बन्द औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना	2.11	27
समंजन (सेट ऑफ) की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति	2.12	27
केन्द्रीय विक्रय कर की गलत छूट	2.13	28

अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	31
औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियॉं (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की कार्य प्रणाली	3.2	32
विभाग की निष्क्रियता के कारण हानि	3.3	33
नीलाम राशि में गलत कमी किए जाने से राजस्व की हानि	3.4	34
बीयर/अल्कोहल उत्पादन के लिए मानक निर्धारित न होना	3.5	35
आसवनी पर स्प्रिट का न्यूनतम स्कंध संधारित न करना	3.6	36
राज्य सरकार की स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना	3.7	37
पोस्ता भूसा समूहों/भांग दुकानों की पुनः नीलामी	3.8	37
शास्ति का अनारोपण/वसूली न होना	3.9	38
स्प्रिट की अमान्य छीजन	3.10	39

अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	41
परिवहन जॉंच चौकियों की कार्य प्रणाली	4.2	42
वाहन कर तथा शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	4.3	47
संशोधित दरें लागू न करने/ गलत गणना के कारण राजस्व की कम वसूली होना	4.4	49

अध्याय – 5 : भू–राजस्व		
लेखा परीक्षा के परिणाम	5.1	51
व्यवसायिक उद्देश्यों हेतु आवंटित नजूल भूमि पर प्रब्याजि एवं भू–भाटक का कम निर्धारण/अनिर्धारण एवं दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ न करना	5.2	52
प्रक्रिया व्यय शामिल न करना	5.3	52
मांग सृजित न करना	5.4	53

अध्याय – 6 : अन्य कर प्राप्तियाँ		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	55
विलेखों का गलत वर्गीकरण	6.2	56
सम्पत्तियों के न्यून मूल्यांकन से राजस्व हानि	6.3	63
मुद्रांक शुल्क की गलत छूट/मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	6.4	64
समितियों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विलेखों पर राजस्व हानि	6.5	65
निर्मुक्ति विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का अवनिर्धारण	6.6	66
पंजीयन फीस का कम आरोपण	6.7	66
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	6.8	67
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न किया जाना	6.9	67
शास्ति का अनारोपण	6.10	68

अध्याय – 7 : वन प्राप्तियाँ		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.1	71
वनोपज के निर्वर्तन में विलम्ब के कारण हानि	7.2	72
इमारती लकड़ी/बांस का कम उत्पादन	7.3	72

अध्याय – 8 : खनन प्राप्तियाँ		
लेखा परीक्षा के परिणाम	8.1	75
खनिजों के अवैध उत्खनन से राजस्व हानि	8.2	76
कोयले के कम लेखांकन से राजस्व हानि	8.3	76
गलत दर लागू करने के कारण राज्यांश की कम वसूली	8.4	77
राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र का अनुपालन न किए जाने के कारण राज्यांश के बकाया की वसूली न होना	8.5	77
अनिवार्य किराया/राज्यांश का कम आरोपण	8.6	78
राज्यांश के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	8.7	79

अध्याय – 9 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ		
क : लोक निर्माण प्राप्तियाँ		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.1	81
निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को किराए पर दिए गए शासकीय भवनों पर लायसेन्स फीस का अनारोपण/कम आरोपण	9.2	82
दुकानों की लायसेन्स फीस का कम आरोपण/वसूली न करना	9.3	82
दाण्डिक दर से लायसेन्स फीस का अनारोपण/वसूली न करना	9.4	83

ख : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.5	84
जब्त माल का निर्वर्तन न किया जाना	9.6	84
गोदाम की लायसेन्स फीस की कम वसूली	9.7	85

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, खनन प्राप्तियाँ तथा राज्य की अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों पर राजस्व के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किए गये हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2001–2002 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनिर्धारण/कम निर्धारण से सम्बंधित 221.22 करोड़ रूपये से अन्तर्निहित 49 कंडिकायें 2 समीक्षायें सहित सम्मिलित है । शासन ने 56.21 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियॉं स्वीकार कर ली हैं और अक्टूबर 2002 तक 50 लाख रूपये वसूल कर लिए गए हैं । कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

(1) सामान्य

(i) वर्ष 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6280.66 करोड़ रूपये का सकल राजस्व वसूल किया गया, जिसमें 4678.98 करोड़ रूपये का कर राजस्व और 1601.68 करोड़ रूपये का कर–भिन्न राजस्व सम्मिलित है । शासन ने भारत सरकार से 4930.42 करोड़ रूपये विभाज्य संघीय करों की शुद्ध प्राप्तियों के अंश (3439.30 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (1491.12 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त किए । इस प्रकार वर्ष के दौरान 11,211.08 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियॉं हुई । बिक्री, व्यापार आदि पर कर (रूपये 2360.74 करोड़) कर राजस्व का मुख्य भाग (50 प्रतिशत) है । अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियॉं (528.39 करोड़ रूपये) कर–भिन्न राजस्व की 33 प्रतिशत लेखांकित हुई ।

(कंडिका 1.1)

(ii) वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व एवं अन्य विभागों के अभिलेखों की वर्ष 2001–2002 के दौरान की गई नमूना जांच में 131998 प्रकरणों में 618.96 करोड़ रूपये राजस्व का अवनिर्धारण, हानियॉं आदि प्रकट हुई । वर्ष 2001–2002 में 122392 प्रकरणों में 283.49 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि विभागों द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें 205.18 करोड़ रूपये राशि के 121126 प्रकरण वर्ष 2001–2002 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखा परीक्षा में इंगित किए गए थे ।

(कंडिका 1.5)

(2) वाणिज्यिक कर

1. "अपील एवं प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निर्वर्तन" पर समीक्षा में पता चला कि :

– 31 मार्च 2001 के अंत तक 56.94 करोड़ रूपये के 7445 प्रकरण अपीलीय प्राधिकारी के पास निराकरण हेतु लंबित थे ।

(कंडिका 2.2.5 (अ) (i))

- कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपीलीय/निगरानी प्राधिकारी से 160 प्रकरण विलम्ब से प्राप्त हुए, परिणामस्वरूप 6.59 करोड़ रूपये की राशि अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 2.2.6(i))

- 50 प्रत्यावर्तित प्रकरण, जिनमें 57.76 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, 2 से लेकर 15 वर्षों तक निराकरण हेतु लंबित थे ।

(कंडिका 2.2.6(v))

- प्रत्यावर्तित प्रकरणों के दोषपूर्ण निर्धारण के परिणामस्वरूप 63.05 लाख रूपये के कर का त्रुटिपूर्ण आस्थगन प्रदान किया गया।

(कंडिका 2.2.6(vi))

2. संमिश्रित कर की गलत दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 73.74 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.3)

3. कर के भुगतान से गलत छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप कुल 1.80 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.7)

4. सकल विक्रय राशि के गलत विनिश्चयन/छिपाव के परिणामस्वरूप 93.73 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.8)

(3) राज्य उत्पाद शुल्क

1. चूककर्ता अनुज्ञप्तिधारकों से वसूली योग्य 2.88 करोड़ रूपये की राशि विभाग द्वारा वसूल नहीं की गई ।

(कंडिका 3.3)

2. बीयर तथा अल्कोहल के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.77 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क की हानि हुई ।

(कंडिका 3.5)

(4) वाहनों पर कर

1. 13400 वाहनों से समझौता शुल्क के रूप में 1.64 करोड़ रूपये की कम वसूली की गई ।

(कंडिका 4.2.2(i))

2. 5.25 करोड़ रूपये की शास्ति सहित 7.87 करोड़ रूपये के वाहन कर का 1493 वाहनस्वामियों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई ।

(कंडिका 4.3(क))

(5) भू–राजस्व

प्रब्याजि एवं भू–भाटक की दरों को गलत ढंग से लागू करने के परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ रूपये के राजस्व का कम निर्धारण हुआ ।

(कंडिका 5.2)

(6) अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

1. "विलेखों के गलत वर्गीकरण" पर समीक्षा में पता चला कि :

– "परिबद्ध कर जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किए गए 503 विलेखों, जिनमें 2.40 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित था, का 31 मार्च 2001 तक निराकरण नहीं किया गया था । इनमें से 54 प्रकरण 10 वर्षों से अधिक पुराने थे ।

(कंडिका 6.2.6)

– 20 विलेखों, जिनमें से प्रत्येक विलेख में **विभिन्न विषय समाहित थे**, को गलत ढंग से एक ही विषय से सम्बंधित माने जाने के परिणामस्वरूप **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस** के रूप में 50.04 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.2.7)

– सम्पत्ति के हस्तांतरण हेतु निष्पादित किए गए मुख्तारनामे के 83 दस्तावेजों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में 32.51 लाख रूपये का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 6.2.8)

2. 58 विलेखों में अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप 25.09 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.3)

3 प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समितियों को छूट की गलत स्वीकृति प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप 57.59 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.5)

(7) वन प्राप्तियाँ

1. आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर इमारती लकड़ी की बल्लियों की नीलामी करने के कारण 7.22 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

(कंडिका 7.2)

2. इमारती लकड़ी तथा बांस के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ रूपये की हानि हुई ।

(कंडिका 7.3)

(8) खनन प्राप्तियाँ

राज्यांश की गलत दरें लागू किए जाने के फलस्वरूप 1.64 करोड़ रूपये की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 8.4)

(9) अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1.41 करोड़ रूपये मूल्य की जब्त की गई आवश्यक वस्तुओं का निर्वर्तन न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व के रूप में उक्त राशि अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 9.6)

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकडे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	5,795.21	5,639.58	4,678.98
	(ख) कर–भिन्न राजस्व	2,468.97	1,724.33	1,601.68
	योग – 1	**8,264.18**	**7,363.91**	**6,280.66**
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3,261.64	3,955.51	3,439.30[1]
	(ख) सहायक अनुदान	1,677.85	1,519.88	1,491.12
	योग – 2	**4,939.49**	**5,475.39**	**4,930.42**
3	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1+2)	13,203.67	12,839.30	11,211.08
4	3 से 1 का प्रतिशत	63	57	56

1 विस्तृत विवरण के लिये कृपया मध्य प्रदेश शासन के 2001 – 2002 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षो से" का अवलोकन करें। शीर्ष " 0021 आय पर निगम कर से भिन्न राज्यों को समुनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़े, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अंतर्गत लेखांकित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है, और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है।

(i) 1999–2000 से 2001–2002 के तीन वर्षों के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	1999 – 2000	2000–2001	2001–2002	2000–2001 की तुलना में 2001–2002 में वृद्धि (+) / कमी (–) का प्रतिशत
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2555.08	2766.57	2360.74	(–) 14.66
2	राज्य उत्पाद शुल्क	1073.38	974.94	704.68	(–) 27.72
3	विद्युत पर कर एवं शुल्क	611.48	447.91	268.19	(–) 40.12
4	माल और यात्रियों पर कर	428.36	333.85	262.40	(–) 21.40
5	वाहनों पर कर	402.01	405.90	393.33	(–) 3.09
6	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	470.12	477.08	444.96	(–) 6.73
7	भू – राजस्व	43.26	38.47	48.21	(+) 25.32
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	26.94	22.95	19.99	(–) 12.89
9	आय और व्यय पर अन्य कर	179.58	167.50	173.05	(+) 3.31
10	होटल प्राप्ति कर	5.00	4.41	3.43	(–) 22.22
	योग	5795.21	5639.58	4678.98	(–) 17.03

(ii) वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान प्राप्त मुख्य कर–भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दर्शाये अनुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	1999 – 2000	2000–2001	2001–2002	2000–2001 की तुलना में 2001–2002 में वृद्धि (+)/ कमी (–) का प्रतिशत
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	315.28	372.56	306.45	(–) 17.74
2	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	867.84	721.04	528.39	(–) 26.72
3	ब्याज प्राप्तियाँ	257.07	184.56	246.59	(+) 33.61
4	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	66.85	47.17	39.15	(–) 17.00
5	जल पूर्ति एवं सफाई	10.11	11.15	11.51	(+) 3.23
6	अन्य	951.82	387.85	469.59	(+) 21.07
	योग	**2468.97**	**1724.33**	**1601.68**	(–) 7.11

राज्य उत्पाद शुल्क में करों एवं शुल्क में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण नीलामी द्वारा विक्रय में तुलनात्मक कमी एवं नई पर्यटन नीति के कारण होटल प्राप्ति में कमी है ।

अन्य कर एवं कर–भिन्न प्राप्तियों से सम्बंधित करों एवं शुल्कों में कमी के कारण यद्यपि मांगे गये थे, पर सम्बंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2003) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नतायें

राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2001–2002 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं नीचे दर्शाये अनुसार है :

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएं वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत
(क)	कर–राजस्व	(करोड़ रूपये में)			
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2500.00	2360.74	(–) 139.26	(–)5.57
2	राज्य उत्पाद शुल्क	950.00	704.68	(–) 245.32	(–) 25.82
3	विद्युत पर कर एवं शुल्क	350.00	268.19	(–) 81.81	(–) 23.37
4	माल एवं यात्रियों पर कर	300.00	262.40	(–) 37.60	(–) 12.53
5	वाहनों पर कर	435.00	393.33	(–) 41.67	(–) 9.58
6	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	473.00	444.96	(–) 28.04	(–) 5.93
7	भू–राजस्व	25.58	48.21	(+) 22.63	(+) 88.47
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	22.00	19.99	(–) 2.01	(–) 9.14
9	आय एवं व्यय पर अन्य कर	106.00	173.05	(+) 67.05	(+) 63.25
10	होटल प्राप्ति कर	3.00	3.43	(+) 0.43	(+) 14.33
	योग	**5164.58**	**4678.98**	**(–) 485.6**	**(–) 9.40**
(ख)	**कर–भिन्न राजस्व**				
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	323.00	306.45	(–) 16.55	(–) 5.12
2	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	522.75	528.39	(+) 5.64	(+) 1.08
3	ब्याज प्राप्तियाँ	311.32	246.59	(–) 64.73	(–) 20.79
4	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई	48.37	39.15	(–) 9.22	(–) 19.06
5	जल पूर्ति एवं सफाई	2.98	11.51	(+) 8.53	(+) 286.24
6	अन्य	204.51	469.59	(+) 265.08	(+) 129.62
	योग	1412.93	1601.68	(+) 188.75	(+) 13.36

राज्य उत्पाद शुल्क के बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति में सारभूत भिन्नता नीलामी द्वारा बिक्री में तुलनात्मक गिरावट के कारण होना बताया गया था ।

अन्य शीर्षों में सारभूत भिन्नता के कारण यद्यपि मंगाये गये थे, पर सम्बंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2003) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि में प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2000–2001 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	
	(करोड़ रूपये में)			मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय औसत (2000–2001)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1999–2000	2555.08	46.12	1.81	1.31
	2000–2001	2766.57	46.38	1.68	
	2001–2002	2360.74	37.42	1.59	
राज्य उत्पाद शुल्क	1999–2000	1073.38	104.11	9.70	3.10
	2000–2001	974.94	98.47	10.10	
	2001–2002	704.68	87.64	12.44	
वाहनों पर कर	1999–2000	402.01	16.86	4.19	3.48
	2000–2001	405.90	11.87	2.92	
	2001–2002	393.33	10.94	2.78	
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1999–2000	470.12	19.63	4.18	4.39
	2000–2001	477.08	56.04	11.75	
	2001–2002	444.96	59.87	13.46	

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य उत्पाद शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की संग्रहण लागत (वर्ष 1999–2000 को छोड़कर) राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा काफी अधिक थी । इन करों एवं फीस के संग्रहण व्यय को कम रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई आवश्यक है ।

1.4 बकाया राजस्व

सम्बंधित विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2002 को बकाया राजस्व नीचे दर्शाये अनुसार था :

राजस्व शीर्ष	राशि		टिप्पणी
	31 मार्च 2002 को बकाया	31 मार्च 2002 को पांच वर्षो से अधिक समय से लंबित	
	(करोड़ रूपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	872.80	242.17	240.25 करोड़ रूपये की वसूली न्यायिक प्राधिकारियों/शासन द्वारा स्थगित की गई । 10.49 करोड़ रूपये की वसूली को अपलेखित किए जाने की संभावना है ।
वाहनों पर कर	18.39	उपलब्ध नहीं कराई गई	उपलब्ध नहीं कराई गई ।
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	17.78	उपलब्ध नहीं कराई गई	उपलब्ध नहीं कराई गई ।
विद्युत पर कर एवं शुल्क	15.97	0.76	2.32 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई ।
वन विभाग	44.67	15.50	5.83 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गई । रूपये 5.51 करोड़ रूपये की वसूली न्यायिक प्राधिकारियों/शासन द्वारा स्थागित की गई तथा 56.36 करोड़ रूपये की राशि को अपलेखित किए जाने की संभावना है ।
सहकारिता	8.72	2.24	3.01 करोड़ रूपये की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु सूचित की गयी । 5.71 करोड़ रूपये की शेष राशि की स्थिति सूचित नहीं की गई ।
जल संसाधन	98.69	उपलब्ध नहीं कराई गई	उपलब्ध नहीं कराई गई ।

यद्यपि ऐसी ही जानकारी अन्य विभागों से मंगाई गई थी, परन्तु प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2003) ।

1.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 में वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, भू–राजस्व तथा अन्य विभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,31,998 प्रकरणों में 618.96 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण, हानि, इत्यादि प्रकट हुई । वर्ष (2001–2002) के दौरान 1,22,392 प्रकरणों में 283.49 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, इत्यादि स्वीकार किए गये, इनमें से 1,21,126 प्रकरण जिनमें 205.18 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, वर्ष 2001–2002 में इंगित किए गए थे तथा शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में 221.22 करोड़ रूपये के राजस्व से अंतर्निहित 49 कंडिकायें 2 समीक्षायें सहित समाविष्ट है । सम्बंधित विभागों ने 56.21 करोड़ रूपये की अभ्युक्तियाँ स्वीकार की । शेष अभ्युक्तियों पर विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2003) ।

1.6 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ

(i) गलत निर्धारण, कर, फीस, शुल्क आदि के कम निर्धारण तथा प्रारंभिक लेखाओं के अनुरक्षण में कमियां आदि पर लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं होता, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित की जाती है। अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताएं विभागाध्यक्षों और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर सम्बंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से दो माह की अवधि में भेजने होते हैं ।

(ii) 31 दिसम्बर 2001 तक जारी किए गए राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या, जो 30 जून 2002 को विभागों द्वारा निराकरण हेतु लंबित थी, पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित नीचे दर्शाये अनुसार है :

	जून के अंत में		
	2000	2001	2002
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6155	6170	5494
लंबित लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	22296	21661	19871
अंतर्निहित राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	3005	4006	3162

(iii) 30 जून 2002 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों का विभागवार विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	प्राप्तियों का स्वरूप/ विभाग का नाम	लंबित लेखा परीक्षा अभ्युक्तियाँ	समाविष्ट राशि (करोड़ रूपये में)	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	
				योग	जनवरी एवं दिसम्बर 2001 के मध्य जारी एवं उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5946 (1221)	407.54 (46.81)	844 (375)	131
2	भू – राजस्व	3125 (912)	577.50 (137.50)	1166 (557)	–
3	वानिकी एवं वन्य जीवन	1554 (951)	543.64 (102.47)	540 (365)	–
4	राज्य उत्पाद शुल्क	1054 (422)	418.47 (104.30)	282 (158)	23
5	मनोरंजन कर	246 (163)	5.75 (3.94)	169 (113)	–
6	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2241 (1428)	44.74 (12.42)	1046 (662)	30
7	जल संसाधन	976 (745)	116.34 (53.43)	240 (176)	–
8	लोक निर्माण	854 (612)	33.49 (16.07)	224 (162)	–
9	खनन	547 (139)	328.70 (33.71)	182 (77)	–
10	मोटर वाहन कर	1382 (874)	398.47 (75.87)	198 (138)	04
11	विद्युत शुल्क	228 (136)	151.84 (35.26)	67 (47)	–
12	अन्य	1718 (1501)	135.52 (91.85)	536 (475)	12
	योग	**19871 (9104)[2]**	**3162.00 (713.63)[2]**	**5494 (3305)[2]**	**200**

[2] कोष्ठक में दर्शाये गये आंकडें पॉच वर्ष से अधिक समय से लंबित आंकडों को प्रदर्शित करते हैं ।

स्थिति को राज्य शासन के ध्यान में लाया गया था, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के निराकरण हेतु उठाये गए कदमों के सम्बंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2003) ।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसमें शासन के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उप महालेखाकार शामिल हुए, की बैठक अगस्त 2002 में हुई एवं वन विभाग की 33 अभ्युक्तियॉं निराकृत की गई ।

1.7 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉं) अप्रैल 2002 में विधान सभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 1988–89 तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है ।

वर्ष 1989–90 से 1994–95 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर आंशिक रूप से चर्चा की जाकर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की अनुशंसायें प्राप्त हो चुकी है । लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1985–86 तक के प्रथम अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं । वर्ष 1986–87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आठ विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य शासन के प्रत्युत्तर की समीक्षा हेतु नियुक्त उच्चाधिकार समिति की अनुशंसा (मार्च 1993) के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने दिनांक 12 जुलाई 1994 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रतिवेदनों की विभिन्न कंडिकाओं पर शासन की स्पष्टीकरण संबंधी टीपें, विधान सभा में इन्हें पटल पर रखे जाने के तीन माह के अंदर शासन द्वारा प्रस्तुत की जाना चाहिये । तथापि शासन द्वारा अनुपालनात्मक कार्यवाही नहीं गई और प्रतिवेदनों पर स्पष्टीकरण सम्बंधी टीपों में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है । वर्ष 1991–92 से 1999–2000 के प्रतिवेदनों में शामिल 670 कंडिकाओं (समीक्षाओं सहित) में से 95 कंडिकाओं के सम्बंध में शासन से स्पष्टीकरण संबंधी टीपें प्राप्त नहीं हुई हैं (जुलाई 2003) ।

1.8 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन का प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अंदर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है । विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट 101 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके नाम से (मई 2000 एवं मई 2002के मध्य) भेजा गया था । विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों ने प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर नहीं भेजे हैं । वित्त विभाग की टीप के साथ ही साथ विभाग के शीघ्र उत्तर को सुनिश्चित करने हेतु इस स्थिति को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के ध्यान में अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सितम्बर 2002 में लाया गया । इन कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है ।

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 की अवधि में वाणिज्यिक कर (विक्रय कर) से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1475 प्रकरणों में सन्निहित 198.49 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, शास्ति/कर का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि के प्रकरण प्रकाश में आए, जिनको मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	छूट/कटौती की गलत स्वीकृति	376	21.38
(ii)	कर का अनारोपण/ कम अरोपण	201	7.51
(iii)	कर की गलत दरों का लागू किया जाना	290	7.42
(iv)	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	132	2.78
(v)	अन्य	476	159.40
	योग	**1475**	**198.49**

वर्ष 2001–2002 के दौरान, विभाग ने वर्ष 2001–2002 में इंगित किये गये 63 प्रकरणों में 3.26 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया ।

"अपील एवं निगरानी प्रकरणों का निर्वर्तन" की समीक्षा में परिलक्षित तथा अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण, जिनमें 141.97 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :

2.2 अपील एवं प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निर्वेक्षण

2.2.1 परिचयात्मक

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (म.प्र.सा.वि.क. अधिनियम), मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम) (अप्रैल 1995 से प्रभावशील), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (के.वि.क.अधिनियम) और मध्य प्रदेश में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (प्रवेशकर अधिनियम) में राज्य में माल के क्रय, विक्रय तथा प्रवेश पर करारोपण एवं संग्रहण से सम्बन्धित कानूनों/नियमों का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 61 एवं 62 अपील तथा पुनरीक्षण प्रकरणों से संबंधित है ।

यदि व्यवसायी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण से व्यथित है तो वह अपील कर सकता है । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील सुन सकता है तथा अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है तथा मांगी गई राहत दे सकता है अथवा प्रकरण को पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकता है । सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक आयुक्त द्वारा किये गये कर निर्धारण के सम्बंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त होता है । पुनरीक्षण प्राधिकारी अर्थात उपायुक्त, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर आयुक्त और राजस्व मंडल भी प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं ।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख आयुक्त, वाणिज्यिक कर होता है, जो विभाग के नियंत्रण, निर्देशन, संचालन तथा इसके क्रियाकलापों के मूल्यांकन तथा राज्य में अधिनियमों एवं नियमों को लागू कराने के लिये उत्तरदायी होता है । आयुक्त के कार्यों में सहायता के लिये 8 अपर आयुक्त विभिन्न प्रक्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनको अपील एवं पुनरीक्षण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत प्रशासन के दो उपायुक्तों सहित 15 उपायुक्तों को भी पुनरीक्षण सम्बंधी शक्तियां निहित की गई हैं, एवं उनके द्वारा भी प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

2.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

समुचित एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, अपील एवं प्रत्यावर्तित प्रकरणों के निर्वर्तन के सम्बंध में समय–समय पर जारी नियमों के प्रावधानों एवं अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 13 उपायुक्तों (संभागीय कार्यालयों) में से 6,[1] 55 सहायक आयुक्तों में से 25[1] और 104 वाणिज्यिक कर अधिकारियों में से 25[1] वाणिज्यिक कर अधिकारियों के अवधि 1996–97 से 2000–2001 तक के अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

2.2.4 विशेषतायें

7445 प्रकरण, जिनमें 56.94 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, 31 मार्च 2001 को अपीलीय प्राधिकारी के पास निराकरण हेतु लंबित थे ।

(कंडिका 2.2.5 (अ)(i))

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी से 160 प्रकरणों को विलम्ब से प्राप्त करने के फलस्वरूप 6.59 करोड़ रूपये की राशि अवरूद्ध हुई ।

(कंडिका 2.2.6 (i))

50 प्रत्यावर्तित प्रकरण, जिनमें 57.76 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, 2 से 15 वर्षो की अवधि तक निराकरण के लिए लंबित थे ।

(कंडिका 2.2.6 (v))

प्रत्यावर्तित प्रकरणों के दोषपूर्ण कर निर्धारण के फलस्वरूप 63.05 लाख रूपये के कर की गलत छूट

(कंडिका 2.2.6 (vi))

1 उपायुक्त, ग्वालियर (1), इन्दौर (3) और भोपाल (2)
सहायक आयुक्त, ग्वालियर (2), इन्दौर (15) और भोपाल (8)
वाणिज्यिक कर अधिकारी, ग्वालियर (4), इन्दौर (15) और भोपाल (6)

2.2.5 अपील और प्रत्यावर्तित प्रकरणों के संस्थापन व निर्वतन की स्थिति

(अ)(i) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरण

यदि व्यवसायी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण से व्यथित है तो वह अपील कर सकता है । आदेश, जिसके विरूद्व अपील की जानी है, के संप्रेषण दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रथम अपील दाखिल की जाती है, शासन/विभाग ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील प्रकरणों के निर्वर्तन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है ।

नीचे सारिणी में 1996–97 से 2000–2001 की अवधि में दाखिल अपील प्रकरणों की संख्या और कर निर्धारण प्राधिकारियों को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रत्यावर्तित प्रकरणों की संख्या दी गयी है ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	योग	प्रत्यावर्तित प्रकरणों की संख्या	निर्वर्तित प्रकरणों की संख्या	अंतिम शेष	प्रतिशतता प्रत्यावर्तित प्रकरणों का विवरण कालम 5+6 का कालम 4 से
1	2	3	4	5	6	7	8
1996–97	6,136	6,501	12,637	1,966	4,371	6,300	50.1
1997–98	6,300	7,991	14,291	1,803	5,789	6,699	53.1
1998–99	6,699	7,174	13,873	1,282	5,151	7,440	46.4
1999–2000	7,440	7,385	14,825	1,700	4,531	8,594	42.0
2000–2001	6,219[2]	5,701[2]	11,920[2]	1,828	2,647	7,445[2]	37.5[2]

वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्रकरणों का वर्षवार निर्वर्तन का प्रतिशत 37.5 तथा 53.1 के मध्य रहा ।

[2] छत्तीसगढ़ को छोड़कर

वर्षवार लंबित प्रकरणों का राशि सहित विवरण निम्नानुसार है :

	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
1996–97 तक	1,229	6.59
1997–98	642	3.61
1998–99	1,216	5.04
1999–2000	1,850	11.07
2000–2001	2,508	30.63
	7,445	**56.94**

(ii) **राजस्व मंडल के समक्ष लंबित प्रकरण**

अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई व्यवसायी या व्यक्ति,ऐसे आदेश के विरूद्व ट्रिब्यूनल अर्थात राजस्व मंडल को आदेश संप्रेषण दिनांक के 60 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रिया में अपील कर सकता है ।

राजस्व मंडल द्वारा अपील प्रकरणों के निर्वर्तन की स्थिति नीचे सारिणी में दिखायी गयी है ।

वर्ष	वर्ष के शुरू में प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	योग	निर्वर्तित प्रकरणों की संख्या	31 दिसम्बर तक शेष	निर्वर्तन की प्रतिशतता कालम 5 का 4 से
1	2	3	4	5	6	7
1996	2,905	530	3,435	421	3,014	12.3
1997	3,014	448	3,462	440	3,022	12,.7
1998	3,022	255	3,277	365	2,912	11.1
1999	2,912	224	3,136	478	2,658	15.2
2000	2,658	343	3,001	531	2,470	17.7

राजस्व मंडल द्वारा वर्षवार प्रकरणों का निर्वर्तन बहुत कम था और वर्ष 1996 से 2000 के दौरान निर्वर्तित प्रकरणों का प्रतिशत केवल 11.1 और 17.7 के मध्य रहा ।

(ब) निगरानी प्रकरण

(i) निगरानी प्रकरणों का निर्वर्तन

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अनुदेश जारी किए (अगस्त 1979) कि पुराने प्रकरणों का निर्वर्तन प्राथमिकता के आधार पर किया जाय । तथापि, निगरानी प्रकरणों के निर्वर्तन की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(अ) भोपाल एवं इंदौर संभागों के उपायुक्तों और पाँच अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2001 और मार्च 2002 के मध्य) में प्रकट हुआ कि नीचे दिये विवरण के अनुसार 535 प्रकरण, जिनमें 61.60 करोड़ रूपये के कर की राशि सन्निहित थी, लम्बी अवधि से लंबित थे । इनमें से 21 प्रकरण, जिनमें 44.75 लाख रूपये की मांग सन्निहित थी, 1976–77 और 1987–88 के मध्य की कर निर्धारण अवधि से सम्बंधित थे, और 10 से 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे ।

लंबित प्रकरण की अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
10 से 20 वर्ष और अधिक	21	0.45
5 से 10 वर्ष	123	6.05
2 से 5 वर्ष	391	55.10
योग	**535**	**61.60**

(ii) पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश के दिनांक से, पांच कलेंडर वर्षो के भीतर कर निर्धारण/अपील आदेश के पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी, तथापि, आयुक्त वाणिज्यिक कर ऐसे किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा जहाँ द्वितीय अपील लंबित हो या ऐसी अपील गुण–दोष के आधार पर निर्णीत की गयी हो । निगरानी प्रकरणों के निर्वर्तन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

नीचे दी गई सारिणी 2000–2001 को समाप्त 5 वर्षो के दौरान निगरानी प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर निर्वर्तन दर्शाती है ।

	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	योग	निर्वर्तन	अंतिम शेष	निर्वर्तन का प्रतिशत कालम 6 का 5 से
1	2	3	4	5	6	7	8
आयुक्त	1997–98	–	633	633	32	601	5.1
	1998–99	601	129	730	665	65	91.1
	1999–2000	65	–	65	65	–	100.0
	2000–2001	जानकारी उपलब्ध नहीं					

1	2	3	4	5	6	7	8
अपर आयुक्त	1996–97	4,506	1,942	6,448	2,816	3,632	43.7
	1997–98	3,632	7,397	11,029	7,139	3,890	64.7
	1998–99	3,890	4,426	8,316	4,724	3,592	56.8
	1999–2000	3,592	2,395	5,987	2,843	3,144	47.5
	2000–2001	2,307[3]	2,819	5,126	1,881	3,245	36.7
उपायुक्त	1996–97	10,430	10,311	20,741	9,820	10,921	47.3
	1997–98	10,921	9,826	20,747	9,623	11,124	46.4
	1998–99	11,124	8,958	20,082	9,927	10,155	49.4
	1999–2000	10,155	11,030	21,185	8,804	12,381	41.6
	2000–2001	10,342[3]	7,141	17,483	5,782	11,701	33.1

उपायुक्तों के समक्ष लंबित प्रकरणों का राशि सहित वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
1996 – 97 तक	1,882	3.20
1997 – 98	1,087	1.87
1998 – 99	1,221	5.16
1999 – 2000	2,492	8.95
2000 – 2001	5,019	11.80
	11,701	30.98

2.2.6(i) अपीलीय/निगरानी प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों के पारगमन में विलम्ब

अपीलीय/निगरानी प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों को सम्बंधित कर निर्धारण अधिकरियों को पुनः कर निर्धारण हेतु भेजा जाता है । प्रत्यावर्तित प्रकरण प्राप्त होने पर, प्रत्यावर्तन, इसकी प्राप्ति और संस्थापन का दिनांक सम्बंधित प्रकरण नस्ती में दर्ज किया जाता है और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही व्यवसायी को सूचना जारी करके प्रारम्भ की जाती है ।

ग्वालियर, भोपाल और इंदौर संभागों के 35 सहायक आयुक्तों एवं वाणिज्यिक कर अधिकारियों के 160 प्रकरणों, जिनमें 6.59 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित थी, की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि

[3] आंकड़ें छत्तीसगढ़ को छोड़कर

अपीलीय/निगरानी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण प्राधिकारियों को प्रेषित प्रकरण विलम्ब से प्राप्त हुए, विलम्ब का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

विलम्ब की अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रूपये में)
0 – 6 माह	43	2.09
6 – 12 माह	46	1.99
12 – 24 माह	45	1.56
24 माह से अधिक	26	0.95
	160	**6.59**

(ii) प्रत्यावर्तित प्रकरणों के पुनः कर निर्धारण में विलम्ब

ग्वालियर के एक व्यवसायी के दो प्रकरणों में उड़नदस्ते के जांच प्रतिवेदन (दिनांक 26 अक्टूबर 1991) के आधार पर 18 नवम्बर 1993 को पुनः कर निर्धारण हुआ और 29.74 लाख रूपये की मांग सृजित की गयी, जिसके विरूद्व निगरानी दायर की गयी । निगरानी प्राधिकारी ने 30 मार्च 1996 को प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जिनका 18 नवम्बर 1993 को सृजित मांग की पुष्टि करते हुये 31 दिसम्बर 1998 को पुनः कर निर्धारण किया । निर्धारिती द्वारा पुनः निगरानी दायर की गयी और प्रकरण 19 दिसम्बर 2000 को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरणों का अभी तक पुनः कर निर्धारण नहीं किया गया है (नवम्बर 2002) ।

इस प्रकार पुनः कर निर्धारण में विलम्ब से 29.74 लाख रूपये के राजस्व की वसूली स्थगित रही ।

इसको इंगित करने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि प्रकरणों को निश्चित समयावधि में निर्णीत करने हेतु अनुदेश जारी किये गये हैं (अगस्त 2002) ।

(ब) ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के 6 संभागों की 30 इकाइयों के 88 प्रकरणों, जिनमें 6.15 करोड़ रूपये की कर राशि अन्तर्निहित थी, की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि अपीलीय/निगरानी प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तित किये गये प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण पश्चात कर की मांग में कोई परिवर्तन नहीं था, जिसके फलस्वरूप 6.15 करोड़ रूपये के राजस्व की राशि की वसूली 4 से 5 वर्षो तक की अवधि के लिए अवरूद्ध रही । यह उचित होता यदि शासन ऐसे सभी प्रकरणों को मोनीटर करता, जो निगरानी और अपील में यथोचित विचार किये वगैर प्रत्यावर्तित किये गये और समुचित निर्देश जारी करने पर विचार करता ताकि बिना कारण के शासकीय राजस्व अवरूद्ध नहीं रहे ।

(iii) प्रत्यावर्तित प्रकरणों में दोष पूर्ण कर निर्धारण

(अ) ग्वालियर संभाग के एक व्यवसायी का वर्ष 1994–95 की अवधि के लिए केन्द्रीय विक्रय कर हेतु कर योग्य कुल विक्रय राशि 17.39 करोड़ रूपये निर्धारित करते हुए कर निर्धारण हुआ (30 जून 1998) । व्यवसायी ने निगरानी प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण दाखिल किया, जिन्होनें 29 अप्रैल 1994 तक की बढ़ी हुई अवधि के संशोधित छूट प्रमाण पत्र पर विचार करने के अनुदेशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया (दिसम्बर 1999) ।

सहायक आयुक्त, ग्वालियर द्वारा प्रकरण में पुनः कर निर्धारण किया गया (अक्टूबर 2000) एवं 17.39 करोड़ रूपये के स्थान पर 1.76 करोड़ रूपये कर योग्य राशि नये सिरे से निर्धारित की गयी । इस प्रकार करयोग्य राशि (टर्नओवर) में 15.63 करोड़ की कमी करने के फलस्वरूप 1.56 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण हुआ । चूंकि बढ़ी हुई पात्रता अवधि (1 अप्रैल 1994 से 29 अप्रैल 1994 तक) में विक्रय राशि केवल 1.70 करोड़ रूपये थी, अतः कर योग्य कुल विक्रय राशि 1.76 करोड़ रूपये निश्चित करना सहीं नहीं था । प्रत्यावर्तित आदेश में निगरानी प्राधिकारी ने कर मुक्ति प्रमाण–पत्र की बढ़ी हुई अवधि पर विचार करने हेतु निर्देशित किया था । करयोग्य राशि का नये सिरे से निर्धारण करके, कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार का अधिक्रमण किया ।

(ब) भोपाल संभाग – 2 के एक प्रकरण की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 10.24 करोड़ रूपये मूल्य के निर्मित माल का व्यवसायी ने शाखा हस्तांतरण किया, जिसके लिये वह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित 10.24 लाख रूपये के स्थान पर 40.96 लाख रूपये के क्रय कर के लिए दायी था । इसके फलस्वरूप 30.72 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(iv) प्रत्यावर्तित प्रकरणों के पुनः कर निर्धारण में कर की अनियमित छूट

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य को विक्रय से अन्यथा निर्वर्तित किसी माल के सम्बंध में कोई कर देय नहीं है, वशर्ते वह ऐसे माल के प्रेषण के साक्ष्य के साथ प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करता है ।

इंदौर क्षेत्र में, एक व्यवसायी के प्रकरण में, 1983–84 अवधि के लिये 1.11 करोड़ रूपये के प्रेषण विक्रय को फार्म 'एफ' तथा माल भेजने के अन्य साक्ष्य के अभाव में अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर कर निर्धारण (जुलाई 1992) किया गया और 13.21 लाख रूपये का कर शास्ति सहित आरोपित किया गया । निगरानी दायर करने पर, प्रकरण का पुनः कर निर्धारण (नवम्बर 1995) हुआ और मूल निर्धारण की मांग कायम रखी गयी । निर्धारिती ने दोबारा निगरानी दायर की और प्रकरण का पुनः कर निर्धारण (दिसम्बर 1999), प्रान्त के बाहर विक्रय को फार्म "एफ" घोषणा–पत्र और माल भेजने के अन्य साक्ष्य

प्रस्तुत किये बिना, स्टॉक ट्रांसफर मानकर किया गया । इस प्रकार निर्धारिती को 13.21 लाख रूपये के कर (शास्ति सहित) की छूट दी गयी ।

(v) घोषणा पत्र प्रस्तुत न करने के कारण प्रत्यावर्तन

म.प्र. सा.वि.क. अधिनियम, 1958 और अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी को कर निर्धारण के समय रियायती दर की सुविधा प्राप्त करने हेतु वैधानिक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने होते हैं, हालांकि जब प्रकरण नये सिरे से कर निर्धारण के लिये प्रत्यावर्तित किये जाते हैं, तो घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर अपीलीय और निगरानी प्राधिकारियों के आदेशों में उपलब्ध रहते हैं ।

5 संभागों के 50 प्रकरणों, जिनमें 57.76 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ये प्रकरण वर्ष 1983–84 से 1995–96 की अवधि के दौरान व्यवसायी को घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर प्रत्यावर्तित किये गये क्योंकि प्रथम कर निर्धारण के समय व्यवसायी घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, लेकिन घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने के लिये एक से तीन बार के बीच अवसर देने पर भी व्यवसायी द्वारा ये प्रस्तुत नहीं किये जा सके । ये प्रकरण 31 मार्च 2002 को लंबित थे । इस प्रकार इन प्रकरणों का अंतिम निपटान न होने के फलस्वरूप 57.76 करोड़ रूपये का राजस्व अवरूद्ध रहा ।

(vi) कर का त्रुटिपूर्ण आस्थगन

आस्थगन योजना, 1986 के अंतर्गत इकाइयों के विस्तार के लिये कर आस्थगन की सुविधा केवल माल के मूल संस्थापित क्षमता से अधिक उत्पादन पर स्वीकार्य है । सोयाबीन बीज से तेल और खली निर्माण में संलग्न एक कम्पनी जिसे 15 जुलाई 1986 तक 1981 की योजना के अधीन कर मुक्ति प्राप्त थी, को विस्तारित क्षमता के लिये आस्थगन योजना, 1986 के अधीन, 15 दिसम्बर 1986 से 14 दिसम्बर 1991 की अवधि के लिये कर के आस्थगन का पात्रता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया गया । विस्तार के बाद इकाई की क्षमता 48000 मीट्रिक टन से 76800 मीट्रिक टन बढ़ाई गयी । सहायक आयुक्त भोपाल के अभिलेख की जांच में प्रकट हुआ कि इकाई ने आस्थगन की अवधि में सोयाबीन बीज और खली क्रश की, जो कि उनकी मूल क्षमता से भी कम थी । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण पर व्यवसायी निगरानी में गया । निगरानी प्राधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया और कर निर्धारण प्राधिकारी ने पुनः कर निर्धारण में गलत रूप से 10 वर्षो के लिये 63.05 लाख रूपये का आस्थगन स्वीकार किया क्योंकि इकाई मूल क्षमता भी प्राप्त नहीं कर सकी थी ।

2.2.7 नियंत्रक पंजी का गलत संधारण

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों के पुनः कर निर्धारण पर निगरानी रखने की दृष्टि से, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने प्रत्यावर्तित, निर्वर्तित और माह के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या दर्शाते हुये नियंत्रक पंजी संधारण हेतु अनुदेश (अगस्त 1979) जारी किये । लेकिन अपील/निगरानी नियंत्रक पंजी की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पंजियों का समुचित संधारण नहीं किया गया, क्योंकि या तो प्रविष्टियां पूरी नहीं थीं या लंबित प्रत्यावर्तित प्रकरणों की स्थिति पर निगरानी हेतु पंजी का कभी संवरण नहीं किया गया । पंजी के दोष पूर्ण संधारण/असंधारण के कारण लेखा परीक्षा में प्रत्यावर्तित प्रकरणों की वास्तविक संख्या और उनके अनुवर्ती निपटान की स्थिति का आंकलन नहीं हो सका । यह विभाग में विद्यमान कमजोर आंतरिक नियंत्रक प्रणाली को इंगित करता है ।

उपरोक्त बिन्दुओं को सितम्बर 2001 और मार्च 2002 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2003) ।

2.3 संमिश्रित कर (कम्पोजीशन ऑफ टैक्स) की गलत दर का लागू करना

अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यवसायी (ठेकेदार) उसके द्वारा भुगतान किये जाने वाले कर के एवज में संमिश्रित कर भुगतान करने का विकल्प लेने के लिए पात्र है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के एक व्यवसायी के अवधि 1996–97 के लिए अप्रैल 2000 में निर्धारित **प्रकरण** की नमूना जांच (अक्टूबर 2001) से प्रकट हुआ कि वृत्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी को 36.87 **करोड़** रूपये के सेनेटरी प्लंबिंग एवं बिजली के साज–सामान/उपकरणों की सप्लाई एवं फिटिंग के **संविदा** कार्य के सम्पादन में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर के एवज में एक मुश्त संमिश्रित कर 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 73.74 लाख रूपये का कर कम आरोपित हुआ ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को (जनवरी 2002) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.4 अधिक कर मुक्ति प्रदान करना

अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी अधिसूचना के अंतर्गत, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) के एक ट्रस्ट को पेय जल आपूर्ति परियोजना में प्रयुक्त होने वाले ए.सी. पाइपों के विक्रय को यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि क्रय किया गया सामान उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है, 1 अगस्त 1995 से 31 मार्च 1996 तक की अवधि के लिए कर भुगतान से छूट प्रदान की गई थी ।

क्षेत्रीय कार्यालय, देवास में नमूना जांच (नवम्बर 2000) के समय एक व्यवसायी के अवधि 1995–96 के लिए मई 1999 में निर्धारित प्रकरण से प्रकट हुआ कि ए.सी.पाइप के 2.52 करोड़ रूपये के विक्रय पर ट्रस्ट द्वारा इस आशय हेतु क्रय के प्रमाणीकरण जारी किए बिना ही कर मुक्ति प्रदान कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 25.20लाख रूपये की अधिक कर मुक्ति प्रदान की गई ।

इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2000) कि कर मुक्ति, अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों/अवधि के अधीन ही प्रदान की गई है । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट द्वारा क्रय प्रमाण–पत्र 16.19 करोड़ रूपये का जारी किया गया है जबकि कर मुक्ति 18.71 करोड़ रूपये पर प्रदान की गई है ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को (मई 2001/जनवरी 2002) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.5 शास्ति का अनारोपण

अधिनियम 1994 के अधीन यदि आयुक्त अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा निगरानी प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवसायी ने अपनी सकल विक्रय राशि को छुपाया है अथवा विक्रय के गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं तो वह अपवंचित किए गए कर की पाँच गुना राशि शास्ति के रूप में लगा सकता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, मुरैना की नमूना जांच (नवम्बर 2001) से विदित हुआ कि कर निर्धारण अधिकारी ने एक व्यवसायी के वर्ष 1996–97 के कर निर्धारण (अप्रैल 2000) में, यद्यपि 3.74 करोड़ रूपये की करयोग्य राशि के छिपाव को सुनिश्चित किया एवं 8.66 लाख रूपये का करारोपण किया, परन्तु उसने 43.30 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की ।

इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु सूचना जारी की (नवम्बर 2001) ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को फरवरी 2002 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.6 क्रय कर का अनारोपण/गलत दर लागू करना

मध्य प्रदेश सा.वि.क. अधिनियम, 1958 एवं वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि बिना कर चुकाए क्रय किये गये किसी कच्चे माल का उपयोग अथवा खपत तैयार माल के निर्माण में किया जाता है, ऐसी वस्तुओं के क्रय पर कर आरोपणीय है । यदि उत्पाद का राज्य बाहर हस्तान्तरण किया जाता है, तो क्रय कर पूर्ण दर से आरोपणीय है ।

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में विदित हुआ कि वर्ष 1994 की कर मुक्ति योजना के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण–पत्र धारक एक व्यवसायी, जिसका वर्ष 1997–98 का कर निर्धारण दिसम्बर 2000 में हुआ, ने 8.51 करोड़ रूपये के कच्चे माल का क्रय किया एवं उसे तैयार माल के निर्माण में उपयोग किया । कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण अधिकारी ने 27.63 लाख रूपये का क्रय कर आरोपित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर मुक्ति सीमा के विरूद्व कम समायोजन हुआ ।

इस ओर इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने 27.63 लाख रूपये का क्रय कर आरोपित किया (अगस्त 2001) ।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच से विदित हुआ (फरवरी 2001) कि एक व्यवसायी के वर्ष 1993–94 के पुनर्कर निर्धारित (माह दिसम्बर 1999) प्रकरण में 2.18 करोड़ रूपये का सोयाबीन खरीदा गया एवं उसे अन्य वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया एवं उत्पाद को राज्य बाहर स्थानान्तरित किया गया । किन्तु क्रय कर 4 प्रतिशत के बजाय 1 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 6.55 लाख रूपये का क्रय कर कम आरोपित हुआ ।

इस ओर इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने कहा (फरवरी 2001) कि पुनर्कर–निर्धारण के समय इस बिन्दु पर विचार किया जाएगा ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2001 एवं जनवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.7 नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट

अधिनियम, 1994 एवं इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन पात्रता प्रमाण–पत्र धारक पात्र श्रेणी की नवीन औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट दी गई है ।

इंदौर के एक व्यवसायी को एक अन्य व्यवसायी के पक्ष में जारी पात्रता प्रमाण–पत्र के आधार पर फिल्म के विक्रय पर 1.80 करोड़ रूपये की गलत कर मुक्ति प्रदान की गई (जुलाई 1999) ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.8 सकल विक्रय का गलत विनिश्चयन/निर्धारण

(i) अधिनियम, 1994 एवं नियमों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार संवेष्ठन सामग्री का क्रय या विक्रय उसी वस्तु के साथ हुआ माना जावेगा तथा वस्तु के क्रय या विक्रय पर लगने वाला कर आरोपणीय होगा । इसके अतिरिक्त कर का भुगतान एवं अपने विक्रय का सही लेखा जोखा रखना प्रत्येक व्यवसायी का दायित्व होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालयों, भोपाल एवं इंदौर में दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में (1995–96 एवं 1996–97 अवधि के लिए अप्रैल 1999 एवं मार्च 2000 में कर निर्धारित) यह विदित हुआ (अगस्त 2000 एवं जनवरी 2001) कि कर निर्धारण अधिकारियों ने वस्तुओं के साथ बिक्रीत 7.68 करोड़ रूपये के कर चुके बारदाने की छूट प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप 75.92 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों ने कहा कि बारदाने का मूल्य पृथक से वसूल किया गया है एवं कर चुके बारदाने की छूट सही प्रदान की गई है । उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि बारदाने का विक्रय वस्तु के साथ किया था एवं वस्तु पर लगने वाले कर की दर से ही उस पर कर आरोपणीय था । माननीय उच्चतम न्यायालय[4] ने भी इसे मान्य किया है ।

(ii) इंदौर के दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से विदित हुआ (सितम्बर एवं अक्टूबर 2001) कि दो व्यवसाइयों के वर्ष 1996–97 से 1998–99 के लिए दिसम्बर 1999 से मार्च 2000

4 मै. प्रीमियर ब्रेवरीज विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला (1999) 32 वी.के.एन. 172

के मध्य कर निर्धारण करते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1.95 करोड़ रूपये के पी.वी.सी. पाइप्स के कर योग्य विक्रय को कर मुक्त मान कर करारोपण नहीं किया; जिसके परिणामस्वरूप 17.81 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर/अक्टूबर 2001) कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि कृषि पाइप्स का विक्रय राजस्व मंडल के निर्णय[5] के परिपेक्ष्य में कर मुक्त है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी.वी.सी पाइप्स को अधिनियम के अन्तर्गत छूट की पात्रता नहीं है ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को (दिसम्बर 2000 से जनवरी 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किये गए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.9 कर की गलत दर का लागू किया जाना

मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 एवं अधिनियम, 1994 के अनुसार विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

12 क्षेत्रीय कार्यालयों[6] एवं 6 वृत्त कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1999 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) में प्रकट हुआ कि व्यवसाइयों के अप्रैल 1993 से मार्च 1998 की अवधि के लिये निर्धारित (सितम्बर 1996 एवं मार्च 2001 के मध्य) प्रकरणों में या तो गलत दरों से करारोपण हुआ या वस्तुओं को कर मुक्त मानकर करारोपण नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1.76 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण हुआ ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिये गए है :

(i) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में एक व्यवसायी के 1993–94 एवं 1997–98 की अवधि हेतु सितम्बर 1996 एवं मार्च 2001 में निर्धारित दो प्रकरणों में 12.22 करोड़ रूपये की कीमत की खनित रॉक फास्फेट के विक्रय को खनिज अयस्क के बजाय उर्वरक मान कर गलत दर से करारोपण किया गया अथवा कर आरोपण ही नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रूपये के कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ ।

5 मै. जया प्लास्टिक (1998) टी.एल.डी. 31

6 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (5), छिंदवाड़ा, देवास एवं इन्दौर (5)

7 वृत्त कार्यालय, भोपाल (2), छिंदवाड़ा, ग्वालियर एवं इन्दौर (2)

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर एवं भोपाल में दो व्यवसाइयों के वर्ष 1995–96, 1997–98 एवं 1998–99 की अवधि हेतु फरवरी 1999 एवं फरवरी 2001 में निर्धारित तीन प्रकरणों में 2.93 करोड़ रूपये मूल्य की लिफ्ट एवं फैक्स मशीनों के विक्रय पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 12.60 लाख रूपये के कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ ।

(iii) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में एक व्यवसायी के 1997–98 की अवधि हेतु मार्च 2001 में निर्धारित एक प्रकरण में 3.35 करोड़ रूपये मूल्य के ट्रांसफॉर्मर के पुर्जों के विक्रय पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 7.26 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये (अगस्त 1998 एवं फरवरी 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.10 प्रवेश कर का कम आरोपण/अनारोपण

प्रवेश कर अधिनियम, 1976 और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय क्षेत्र में विक्रय, उपभोग, कच्चे माल या अनुषांगिक माल या संवेष्ठन सामग्री के रूप में अथवा ठेके के कार्यों के निष्पादन में उपयोग के लिये माल के प्रवेश पर सूची में उल्लेखित दर से प्रवेश कर आरोपणीय है ।

10 क्षेत्रीय कार्यालयों[8] और 3 वृत्त कार्यालयों[9] की नमूना जांच (अप्रैल 1998 एवं अक्टूबर 2001 के मध्य) में विदित हुआ कि अप्रैल 1993 से मार्च 1999 की अवधि हेतु निर्धारित/ पुनः निर्धारित (जुलाई 1996 एवं मार्च 2001 के मध्य) 13 व्यवसाइयों के 16 प्रकरणों में 41.15 करोड़ रूपये कीमत की वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 40.40 लाख रूपये के प्रवेश कर का कम आरोपण/अनारोपण हुआ ।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2001) कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रकरण में 10.53 लाख रूपये की मांग सृजित की (नवम्बर 2001); अन्य प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

8 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (3), छिंदवाड़ा, देवास, इन्दौर (3), रतलाम एवं उज्जैन

9 वृत्त कार्यालय, भोपाल (2) एवं इन्दौर

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 1998 एवं फरवरी 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.11 निर्धारित समयावधि से पूर्व बन्द औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना

कर मुक्ति योजना, 1994 के अधीन छूट प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्ति अवधि एवं कर मुक्ति की समाप्ति की दिनांक से अगले पांच वर्षों तक इकाइयों को चालू रखना होगा, इसमें असफल होने पर इकाई द्वारा प्राप्त की गई कर मुक्ति की राशि की वसूली सहित पात्रता प्रमाण–पत्र निरस्त करने योग्य होगा ।

कर मुक्ति योजना, 1994 के अधीन 26 मार्च 1996 से 25 मार्च 2005 तक की अवधि के लिये पात्रता प्रमाण–पत्र धारक इंदौर की एक औद्योगिक इकाई को वर्ष 1996–97 की अवधि के लिये 13.78 लाख रूपये के वाणिज्यिक कर भुगतान से छूट दी गई थी (दिसम्बर 1999) । इकाई के बन्द होने के पश्चात व्यवसायी पर वर्ष 1997–98 की अवधि के लिए 95.90 लाख रूपये का कर निर्धारित किया गया (मार्च 2001), लेकिन वर्ष 1996–97 के लिए दी गई छूट की राशि 13.78 लाख रूपये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई ।

यह इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2001) कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई वृत्त अधिकारी द्वारा की जानी थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तथ्यों की जानकारी होने पर निर्धारण अधिकारी द्वारा शासकीय राजस्व की सुरक्षा हेतु कार्रवाई की जाना अपेक्षित थी ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.12 समंजन (सेट ऑफ) की त्रुटिपूर्ण स्वीकृति

अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जब कोई पंजीकृत व्यवसायी कर चुका कच्चा माल क्रय करके उसका उपभोग/उपयोग विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के निर्माण में करता है तो वह पूर्ण दर से कर और 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर के अंतर के बराबर समंजन के लिए पात्र होगा ।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में नमूना जांच (अगस्त 2001) में प्रकट हुआ कि तीन व्यवसाइयों के वर्ष 1996–97 से 1997–98 की अवधि हेतु अप्रैल 2000 से फरवरी 2001 के मध्य निर्धारित प्रकरणों में 1.72 करोड़ रूपये के कच्चे माल का क्रय किया गया और उसे अन्य माल के निर्माण में उपयोग किया गया जिस पर 6 एवं 4 प्रतिशत के स्थान पर 10 व 6 प्रतिशत की दर लागू करके 6.05 लाख रूपये के समंजन की अनुमति प्रदान की गई ।

प्रकरण आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

2.13 केन्द्रीय विक्रय पर की गलत छूट

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में माल का विक्रय या क्रय केवल तभी माना जायेगा यदि माल का विक्रय या क्रय इस प्रकार के निर्यात द्वारा हो या भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमा पार करने के बाद स्वामित्व के प्रलेखों के हस्तान्तरण द्वारा हो ।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं वृत्त कार्यालय, इंदौर में नमूना जांच में प्रकट हुआ (जून 2001 एवं अगस्त 2001) कि दो व्यवसाइयों के वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 की अवधि हेतु नवम्बर 1999 एवं नवम्बर 2000 में निर्धारित प्रकरणों में से एक प्रकरण में 56 लाख रूपये मूल्य के तैयार (ग्लेज्ड) चमड़े के निर्यात विक्रय पर छूट कच्ची खाल का विक्रय मान कर दी गई तथा दूसरे प्रकरण में 19.34 लाख रूपये मूल्य की इमारती लकड़ी की विक्रय की छूट एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के संचलन के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तान्तरण के रूप में दी गई, यद्यपि वस्तुओं का ट्रांसफर वुडन बाक्स (पैकिंग मटेरियल) के रूप में किया गया । दोनों प्रकरणों में छूट अस्वीकार्य थी, क्योंकि दोनो प्रकरणों में उनके संचलन के दौरान माल विनिर्माण की प्रक्रिया से गुजरा था । इसके परिणामस्वरूप 8.10 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि (i) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय[10] के परिपेक्ष्य में कच्ची खाल व ग्लेज्ड खाल एक ही वस्तु है (ii) और पश्चातवर्ती विक्रय वस्तुओं के संचलन के दौरान ही किया गया है, और कोई निर्माण की प्रक्रिया नहीं की गई । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय[11] के परिपेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है, जिसके अनुसार तैयार खाल कच्ची खाल के प्रोसेसिंग से प्राप्त होती है, और कच्ची खाल से भिन्न है । दूसरे प्रकरण में

10 मै. भारत कैमीकल कारपोरशन 1989 एस.टी.सी. 198

11 मै. के.ए.के. अनवर एण्ड क. विरूद्व स्टेट ऑफ तमिलनाडु (1998) 108 एस.टी. सी. 258

व्यवसायी के निर्माण लेखों से प्रगट हुआ कि इमारती लकड़ी का उपयोग बाक्स निर्माण में किया गया था ।

प्रकरणों को आयुक्त, वाणिज्यिक कर व शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2001 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 2856 प्रकरणों में 67.07 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, कम निर्धारण, राजस्व हानियॉं एवं शास्तियों का अनारोपण प्रकट हुआ, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	लायसेन्स की शर्तो का उल्लंघन करने पर शास्ति का अनारोपण	156	15.44
(ii)	मध्य प्रदेश में विदेशी मदिरा के व्यापार में हानि	376	13.57
(iii)	लायसेन्स फीस/नीलामी राशि के बकाया का संचयन	566	13.11
(iv)	अधिक छीजन पर शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना	450	3.27
(v)	कम उतारी के कारण राजस्व हानि	152	2.87
(vi)	अन्य	1156	18.81
	योग	**2856**	**67.07**

वर्ष 2001–2002 में विभाग ने 1719 प्रकरणों में अंतर्निहित 41.86 करोड़ रूपये राशि के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया ।

महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 6.77 करोड़ रूपये का राजस्व अंतर्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है ।

3.2 औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की कार्य प्रणाली

अप्रैल 1996 से दिसम्बर 2001 तक की अवधि से सम्बंधित 3 में से 2 बंधित एवं 62में से 52 अबंधित विनिर्माणियों के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2001 से जनवरी 2002) में निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए :

3.2.1 अमान्य छोजन/कम उत्पादन के कारण आबकारी राजस्व की हानि

औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियॉ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (एम.एण्ड टी.पी. एक्ट) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अबंधित विनिर्माणियों द्वारा औषधियों के विनिर्माण में नारकोटिक ड्रग्स, नारकोटिक्स तथा अल्कोहल की हानि अनुमत्य नहीं है ।

(क) अमान्य हानियाँ

सहायक आयुक्त आबकारी (एसीई), इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त 2001) कि अप्रैल 1996 से जुलाई 2001 के मध्य 13 अबंधित विनिर्माणियों द्वारा ''मधुर मुन्नका'' के विनिर्माण में अनियमित रूप से 183.96 क्विन्टल भांग की हानि दर्शायी गयी, जिससे 5.47 लाख पैकेटों के उत्पादन होने पर 11.20 लाख रूपये के उत्पाद शुल्क अन्तर्निहित था ।

इसे इंगित किये जाने पर ए.सी.ई., इंदौर ने बताया (अगस्त 2001) कि अबंधित विनिर्माणियों द्वारा औषधियों के विनिर्माण में हानियों के लिए, जैसाकि बंधित विनिर्माणियों के लिए उपलब्ध है, प्रावधान करने हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों को भेजा जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रावधान के अभाव में हानियॉ अस्वीकार्य थीं और तदनुसार आबकारी शुल्क प्रभारित किया जाना था ।

(ख) औषधियों का कम उत्पादन

जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई.ओ.), देवास के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अक्टूबर 2000 एवं जनवरी 2002) कि एक अबंधित विनिर्माणी द्वारा अगस्त 1999 से दिसम्बर 2001 के दौरान 2239.86 लीटर शुद्ध अल्कोहल का प्रयोग किया गया तथा 11.7 प्रतिशत (V/V) शुद्ध अल्कोहल (एब्सोलूट अल्कोहल) वाले 1 एम.एल. के 191.44 लाख कोटानोव इंजेक्शनों के विरूद्ध 167.44 लाख 'कोटानोव' इन्जेक्शनों का उत्पादन किया गया । इसके परिणामस्वरूप 24 लाख इन्जेक्शनों, जिनमें 39.36 लाख रूपये का आबकारी शुल्क अन्तर्निहित था, का कम उत्पादन हुआ ।

3.2.2 आबकारी शुल्क का कम आरोपण

एम एण्ड टी.पी. एक्ट एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि सामान्य अल्कोहल पेयों के रूप में उपभोग्य अल्कोहल युक्त ऐलोपैथिक एवं होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त शुद्ध अल्कोहल पर 20 रूपये प्रति लीटर की दर से आबकारी शुल्क आरोपणीय है । एसीई, इंदौर एवं डी.ई. ओ., रायसेन के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (नवम्बर 2000 एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) कि 3 अबंधित विनिर्माणियों[1] द्वारा अल्कोहल युक्त ऐलोपैथिक एवं होम्योपैथिक औषधियां जो सामान्य एल्कोहलीय पेयों के रूप में उपभोग्य है, के विनिर्माण हेतु 53367 लीटर परिशोधित स्प्रिट का शुद्ध अल्कोहल अंश प्राप्त हुआ तथा भुगतान योग्य 10.67 लाख रूपये के आबकारी शुल्क के विरूद्व 4.62 लाख रूपये का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरण के अनुसार 6.05 लाख रूपये आबकारी शुल्क का कम आरोपण हुआ :

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	प्रयुक्त अल्कोहल लीटरों में	भुगतान योग्य राशि	भुगतान की गयी राशि	भुगतान योग्य शेष राशि
1	ए.सी.ई. इंदौर (एम.एण्ड टी.पी.)	1999–2000	26604.50	5.32	2.80	2.52
2	डी.ई.ओ.रायसेन	1999–2001	26762.75	5.35	1.82	3.53
	योग		**53367.25**	**10.67**	**4.62**	**6.05**

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.3 विभाग की निष्क्रियता के कारण हानि

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी के किसी देय फीस के संदत्त करने में असफल रहने या अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन करने के प्रकरणों में अनुज्ञप्ति मन्जूर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित कर सकेगा तथा दुकानों (ग्रान्ट) को अपने प्रबन्धन में ले

1 (1) प्रोमेड लेबोरेटरीज, इन्दौर
(2) ल्यूपिन लिमिटेड, मण्डीदीप, रायसेन
(3) न्यू लाइफ लेबोरेटरीज लिमिटेड, मण्डीदीप, रायसेन

ग्रान्ट – विभाग द्वारा नीलाम की गई दुकान/दुकानें

सकेगा या पुनः विक्रय कर सकेगा । इस प्रकार के निरस्तीकरण या निलम्बन से हुई हानि भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व की भांति वसूल की जावेगी । सफल बोलीदार के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति से पूर्व टेण्डर राशि का 12.5 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है । तदुपरान्त वह नीलामी राशि 52 बराबर किस्तों में जमा करेगा ।

सहायक आयुक्त आबकारी, जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (फरवरी 2002) कि 5 मई 2001 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए प्राप्त निविदा के आधार पर, 4 मई 2001 को तीन देशी एवं एक विदेशी मदिरा दुकानों को तीन अनुज्ञप्तिधारियों को 3.05 करोड़ रूपये में नीलाम किया गया । बोलीदारों को तीन देशी एवं एक विदेशी मदिरा दुकानें 38.16 लाख रूपये के बजाय 27.52 लाख रूपये की अग्रिम जमा पर आवंटित की गई (मई 2001) जिसके परिणाम स्वरूप 10.64 लाख रूपये की कम जमा प्राप्ति हुई । इस प्रकार प्रथम दृष्टया अनुज्ञप्ति देना अपने आप में सहीं नहीं था । पुनः अनुज्ञप्तिधारियों ने कोई भी किस्त जमा नहीं की तथा 25 मई 2001 तक दुकानें चलाना जारी रखा । 26 मई 2001 को अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण के बाद एक दुकान अक्टूबर 2001 तक स्थापित नहीं हुई तथा अन्य तीन दुकानें नवम्बर 2001 तक असंचालित रही । इसके बाद नवम्बर/दिसम्बर 2001 से दुकानें विभागीय तौर पर चलाई गई तथा 16.72 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया । विभाग ने न तो अनुज्ञप्तिधारी की जमा राशि राजसात की और ना ही चूककर्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्व 2.88 करोड़ रूपये की मांग कायम की ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त, तथा शासन को (मई 2002) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.4 नीलाम राशि में गलत कमी किये जाने से राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम प्रावधानित करते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए नीलामी/निविदा द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की फुटकर विक्रय अनुज्ञप्तियों का निर्वर्तन समस्त औपचारिकताओं के साथ प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पूर्ण हो जाना चाहिए ताकि आगामी वर्ष के 1 अप्रैल से दुकानें नए अनुज्ञप्तिधारकों को सौंपी जा सकें ।

ए.सी.ई., ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 19 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए 13 देशी एवं 12 विदेशी मद्दिरा दुकानों का एक समूह 17.41 करोड़ रूपये के आरक्षित मूल्य के विरूद्व 11.50 करोड़ रूपये में दिनांक 18 अप्रैल 2001 को नीलाम हुआ । नीलामी की सूचना में दुकानों को सौंपने के लिए नीलामी की दिनांक से 10 दिन का समय रखा गया था ।

अनुज्ञप्तिधारी को दुकानें 22 अप्रैल 2001 को हस्तान्तरित की गई एवं 21 दिनों के लिए 66 लाख रूपये की आनुपातिक कटौती मान्य की गयी जिसके परिणामस्वरूप 66 लाख रूपये की हानि हुई।

यह इंगित किये जाने पर ए.सी.ई. ने बताया (जून 2001) कि नीलामी बोली राशि 365 दिन के लिए होने से 22 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक 344 दिन के लिए आनुपातिक रूप से कम की गई । उत्तर मान्य करने योग्य नहीं हैं क्योंकि विभाग की कार्रवाई नीलामी सूचना के अनुरूप नहीं है ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (सितम्बर एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.5 बीयर/अल्कोहल उत्पादन के लिए मानक निर्धारित न होना

बीयर उत्पादन एवं शीरे से भिन्न मूलों (बेसेज) से अल्कोहल उत्पादन के लिए सम्बन्धित नियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है, तथापि टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल[2] में 84 पाउण्ड माल्ट या 56 पाउण्ड शक्कर से 36 गैलन वर्ट के उत्पादन का प्रावधान है । बीयर विनिर्माण में 5 प्रतिशत की हानि मान्य है । पुन: चावल के प्रत्येक क्विन्टल से 56.06 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये ।

(क) बीयर का कम उत्पादन

दो यवासवनियों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2001) कि सितम्बर 2000 से नवम्बर 2001 के दौरान 33,296 क्विन्टल माल्ट एवं 7,317 क्विन्टल शक्कर का उपयोग कर 180.83 लाख बल्क लीटर अपेक्षित उत्पादन के विरूद्व 163.35 लाख बल्क लीटर बीयर का उत्पादन किया गया । इस प्रकार 17.48 लाख बल्क लीटर (26.9 लाख बोतल) बीयर का कम उत्पादन हुआ जिससे आबकारी शुल्क के रूप में 1.67 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, ए.सी.ई., भोपाल एवं इंदौर ने बताया (अक्टूबर एवं दिसम्बर 2001) कि बीयर उत्पादन के लिए मानक निर्धारित नहीं किये गये थे । टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उत्तर सही नहीं है ।

2 टैक्नीकल एक्साइज मेन्युअल विभाग द्वारा सन्दर्भ पुस्तक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ।

3 1. मै. लीला संस ब्रेवरीज, भोपाल

2. मै. एम. पी. बीयर, इंदौर

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

(ख) अल्कोहल का कम उत्पादन

ग्वालियर आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (जून 2001) कि 14,130 क्विन्टल चावल से 7.92 लाख प्रूफ लीटर अपेक्षित उत्पादन के विरूद्व 7.49 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 0.43 लाख प्रूफ लीटर की कमी हुई जिसमें 24 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से 10.32 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की संभावित हानि अंतर्निहित थी ।

आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 1997) कि शीरे से भिन्न अन्य मूलों से उत्पादन से सम्बन्धित नियम बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसे नियम नहीं बनाये गये हैं ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित क़िया (सितम्बर तथा दिसम्बर 2001); उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.6 आसवनी पर स्प्रिट का न्यूनतम स्कन्ध संधारित न करना

नियमों में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आसवनी पर स्प्रिट का न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध संधारित किया जाना अपेक्षित है। न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध से कम पायी गई मात्रा पर 5 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से आबकारी आयुक्त शास्ति आरोपित कर सकेगा ।

खरगोन जिले की 2 आसवनियों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ (अगस्त 2001) कि यद्यपि मार्च 2000 तथा जून 2001 के मध्य कई अवसरों पर स्प्रिट का न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध नहीं रखा गया, न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध से 10.14 लाख प्रूफ लीटर कम पाई गई स्प्रिट पर 50.70 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

यह इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (आसवनियों) ने बताया (अगस्त 2001) कि समय–समय पर नोटिस जारी किये गये थे, तथा शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये गये थे । आबकारी आयुक्त द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है (सितम्बर 2002) ।

4 मै. ऐसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज, बड़वाह, मै. अग्रवाल ब्रेवरीज, बड़वाह

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (दिसम्बर 2001 तथा अप्रैल 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.7 राज्य सरकार की स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना

नियमानुसार, यदि आसवनी में राज्य सरकार की स्थापना पर व्यय उससे निर्गमित स्प्रिट पर निर्यात फीस या कोई अन्य उद्ग्रहण से उपार्जित राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक होता है तो उपर्युक्त पांच प्रतिशत से अधिक व्यय राशि को आसवक से वसूल किया जाएगा ।

नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त 2001) कि अवधि 1999–2001 के दौरान दो आसवनियों में राज्य सरकार की स्थापना पर व्यय 15.27 लाख रूपये था तथा शासन को 49.07 लाख रूपये राजस्व की आय हुई । इस प्रकार 12.82 लाख रूपये का व्यय 49.07 लाख रूपये के 5 प्रतिशत से अधिक व्यय था, जिसकी वसूली नहीं की गई ।

लेखा परीक्षा में यह इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (डी.ई.ओ.), खरगोन ने बताया (अगस्त 2001) कि स्थापना पर किया गया व्यय प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से कम था । उत्तर तथ्यों से समर्थित नहीं है ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (अप्रैल 2002) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.8 पोस्ता भूसा समूहों/भांग दुकानों की पुनः नीलामी

शासन की अधिसूचना (मार्च 1999 एवं 2000) के अनुसार, यदि अनुज्ञप्तिधारी/बोलीदार अपनी लगाई बोली पर स्थिर नहीं रहता या अनुज्ञप्ति शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, अनुज्ञप्ति निरस्त करने योग्य है तथा पुनः नीलामी करने के कारण जो हानि होगी वह धरोहर राशि राजसात किए जाने के अतिरिक्त, उससे भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूल की जाएगी ।

3 डी.ई.ओ.[5] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (फरवरी 2000 एवं अप्रैल 2001 के मध्य) कि मुरैना एवं शिवपुरी जिलों के पोस्ता भूसा के 4 समूहों तथा मन्दसौर जिले की भांग की 7 दुकानों की वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 के लिऐ चार अनुज्ञप्तिधारियों को 42.33 लाख रूपये में नीलामी की

[5] मन्दसौर, मुरैना, शिवपुरी

गयी थी । मुरैना जिले का पोस्ता भूसा का एक अनुज्ञप्तिधारी अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहा तथा अन्य दो अनुज्ञप्तिधारी 1 अगस्त 1999 से एवं एक अनुज्ञप्तिधारी जुलाई 2000 से मासिक किस्त पूर्ण रूप से जमा करने में असफल रहे । उनकी अनुज्ञप्तियाँ निरस्त कर दी गई एवं समूहों तथा दुकानों को नवम्बर 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य 7.03 लाख रूपये में पुनः नीलाम किया गया, जिसके परिणास्वरूप 10.26 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई, जो कि दोषी अनुज्ञप्तिधारियों से वसूली योग्य थी । वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गये ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (मई 2000 एवं अप्रैल 2002) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.9 शास्ति का अरोपण/वसूली न होना

फार्म नम्बर एफ.एल. – 2 एवं एफ.एल. 3 में अनुज्ञप्तियों की शर्तो के अनुसार एक अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष के लिये स्प्रिट एवं माल्ट का निर्धारित न्यूनतम कोटा उठाना अनिवार्य है । निर्धारित कोटा उठाने में किसी प्रकार की कमी के लिए कलेक्टर द्वारा शास्ति आरोपित तथा वसूल की जायगी, कम उठाने के लिए शास्ति की दर स्प्रिट हेतु 65 रूपये प्रति प्रूफ लीटर तथा माल्ट के लिए 3.50 रूपये प्रति बल्क लीटर होगी ।

ए.सी.ई., इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (जनवरी 2002) कि एफ.एल. 2 के 21 अनुज्ञप्तिधारियों तथा एफ.एल. 3 के 30 अनुज्ञप्तिधारियों ने 2000–2001 के दौरान 8826.18 प्रूफ लीटर स्प्रिट तथा 62912 बल्क लीटर माल्ट कम उठाया लेकिन कोई शास्ति आरोपित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप 7.94 लाख रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (मार्च एवं अप्रैल 2002) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.10 स्प्रिट की अनाम्य छीजन

नियमों के अनुसार, राज्य में एक आसवनी/वेयर हाउस से दूसरी आसवनी/वेयर हाउस को परिवहित या टैंकरों में निर्यात की गई स्प्रिट पर वाष्पीकरण या रिसाव के कारण 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस को परिवहित करते समय भरी बोतलों में टूट–फूट के कारण कोई भी छीजन अस्वीकार्य है । अनुमत्य सीमा से अधिक नियमों के अंतर्गत अस्वीकार्य छीजन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारक शास्ति/शुल्क के भुगतान के लिए दायी है ।

इंदौर एवं खरगोन के डी.ई ओ. के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त एवं दिसम्बर 2001) कि अवधि फरवरी 2000 से नवम्बर 2001 के मध्य दो आसवनियों[6] द्वारा 81 परमिटों पर 19.40 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट का निर्यात/परिवहन किया गया तथा 3642.43 प्रूफ लीटर की अनुमत्य सीमा से अधिक 12232 प्रूफ लीटर की अधिक छीजन दर्शायी गई जिस पर 3.67 लाख रूपये की आरोपणीय शास्ति परिगणित हुई । पुनः अगस्त 2000 से नवम्बर 2001 के दौरान 5 मद्य भाण्डागारों[7] से एक अन्य भांडागार को 870 अनुज्ञा पत्रों पर 19.30 लाख प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट को बोतलों में भरकर परिवहित किया गया एवं 16919 प्रूफ लीटर छीजन के रूप में दर्शाया गया जो अस्वीकार्य थी तथा जिस पर 4.06 लाख रूपये का शुल्क आरोपणीय था । इस प्रकार आंकलन करने पर आरोपणीय शास्ति/शुल्क की कुल राशि 7.73 लाख रूपये परिगणित हुई ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001 तथा अप्रैल 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6 ऐसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज बड़वाह, खरगोन तथा सोम डिस्टलरीज, रायसेन

7 बड़बानी, दतिया, धार, टीकमगढ़ एवं उज्जैन

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001 – 2002 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 2851 प्रकरणों में 6.40 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण/ अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं संयोजन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण	645	2.86
(ii)	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण / कम आरोपण	451	1.07
(iii)	अन्य	1755	2.47
	योग	**2851**	**6.40**

वर्ष 2001 – 2002 के दौरान लेखा परीक्षा में इंगित किए गए 949 प्रकरणों में 2.98 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण/हानियाँ आदि विभाग द्वारा स्वीकार की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख, जिनमें 10.09 करोड़ रूपये[1] का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

1 इसमें 2001 – 2002 के दौरान जांच की गई 9 इकाइयों के मामले सम्मिलित हैं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 31 मार्च 2002 के बाद जारी किए गए थे, इस प्रकार लेखा परीक्षा के परिणाम अवधि 2001–2002 में इन इकाइयों के लेखा परीक्षा परिणामों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

4.2 परिवहन जांच चौकियों की कार्य प्रणाली

राज्य में प्रवेश करने वाले अथवा बाहर जाने वाले वाहनों पर जनवरी 1992[2] से प्रभावी मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अधीन आरोपणीय कर, शुल्क एवं शास्ति की जांच एवं चोरी रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्गों पर विभिन्न प्रवेश स्थलों पर 36 जांच चौकियों की स्थापना की गई ।

जांच चौकियों पर नियुक्त परिवहन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों को, संसद द्वारा बनाये गए मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 1988) के अधीन इन जांच चौकियों से अपने वाहन ले जाते समय वाहन स्वामियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के संयोजन के अधिकार दिये गये हैं । विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए समझौता शुल्क की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।

4.2.1 परिवहन जांच चौकियों का कार्य निष्पादन

(i) वर्ष 1996 – 97 तथा 2000 – 2001 के मध्य 36 जांच चौकियों पर संसूचित अपराधों तथा संग्रहीत राजस्व का सम्पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	संसूचित अपराध		वसूल किया गया राजस्व		विभाग[3] द्वारा वसूल किया गया कुल राजस्व (करोड़ रूपये में) विभाग के सम्पूर्ण राजस्व का प्रतिशत
	संख्या	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) (प्रतिशत)	करोड़ रूपये में	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(–) (प्रतिशत)	
1996 – 97	120103	–	19.99	–	–
1997 – 98	99029	(–) 17.6	19.04	(–) 4.7	298.89 6.4
1998 – 99	80603	(–) 18.6	18.42	(–) 3.3	306.89 6.0
1999–2000	84526	(+) 4.8	20.04	(+) 8.8	321.62 6.2
2000–2001	131044	(+) 55.0	27.60	(+) 37.7	357.57 7.7

2 जनवरी 1992 से पूर्व कर मध्य प्रदेश मोटरयान (कराधान) अधिनियम, 1947 तथा मध्य प्रदेश मोटरयान (माल पर कर) अधिनियम, 1962 के अधीन आरोपित किया जा रहा था।

3 उन जांच चौकियों द्वारा वसूल किया गया राजस्व जो विभाजन के उपरान्त मध्य प्रदेश में रहे ।

1996–97 तथा 1998–99 के मध्य संसूचित किए गए अपराधों की संख्या में निरन्तर कमी हुई और 2000–2001 में अत्यधिक वृद्धि हुई । वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 में राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष की तुलना में भी कम रहा ।

(ii) 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के दौरान 12 जांच चौकियों (नमूना जांच की गई) पर संसूचित अपराधों तथा वसूल किये गये राजस्व के एक विश्लेषण में निम्नानुसार प्रकट हुआ :

संसूचित किए गए वर्गवार अपराध		अपराधों की संख्या कुल अपराधों का प्रतिशत				
		1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001
(क)	ओवर लोडिंग	33428 33.9	14408 16.8	4162 6.2	2302 3.3	4642 4.1
(ख)	बिना अनुज्ञापत्र	7071 7.2	7399 8.6	8609 12.7	9435 13.4	2033 1.8
(ग)	बिना उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	10448 10.6	11896 13.8	14860 22.0	17373 24.7	25057 22.2
(घ)	बिना बीमा	5301 5.4	5765 6.7	7677 11.3	9374 13.3	15580 13.8
(ड़)	बिना चालक अनुज्ञप्ति	8542 8.7	8932 10.4	8819 13.0	9292 13.3	17039 15.1
(च)	अन्य[4]	33766 34.2	37460 43.6	23500 34.7	22427 31.9	48647 43.0
	योग	**98556**	**85860**	**67627**	**70203**	**112998**
वसूल किया गया राजस्व (करोड़ रूपये में)		16.63	15.90	15.23	16.76	23.33

यह देखा गया कि इन जांच चौकियों पर वसूल किया गया राजस्व 36 जांच चौकियों पर वसूल किये गये कुल राजस्व का 82 से 85 प्रतिशत था।

[4] इसके अंतर्गत (1) सर्चलाइट के बंद होने (2) सह चालक के न होने (3) तथा वे– बिलों में वजन का उल्लेख न होना आदि से सम्बंधित अपराध सम्मिलित किए गए हैं ।

4.2.2 समझौता शुल्क का कम आरोपण/वसूली न होना

24 मई 2000 से पूर्व ओवर लोडिंग के अपराध के लिए समझौता शुल्क 1 मैट्रिक टन तक अधिक भार के लिए 20 पैसे प्रति किलोग्राम तथा एक मैट्रिक टन से अधिक के लिए 40 पैसे प्रति किलो ग्राम और अधिकतम 2000 रूपये था । 24 मई 2000 से दरें संशोधित की गई जिसमें न्यूनतम अर्थदण्ड 2000 रूपये के अतिरिक्त, अधिक भार के लिए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर निर्धारितकी गई । अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि समझौता शुल्क का कम आरोपण निम्नानुसार है :

(i) 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के दौरान प्रति प्रकरण 500 रूपये से 1000 रूपये तक समझौता शुल्क वसूल किया गया था। चूंकि तौलने की सुविधा न होने के कारण, ओवर लोडिंग के वास्तविक भार का पता नहीं चल पाया । इसलिए 1 अप्रैल 1996 से 23 मार्च 2000 के दौरान 11 जाँच चौकियों[5] पर संयोजित 36795 प्रकरणों में समझौता शुल्क के कम आरोपण को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका । यह भी कि 24 मई 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के दौरान 2.68 करोड़ रूपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के विरूद्व, 13400 वाहनों से 1.04 करोड़ रूपये राजस्व के रूप में वसूल किए गए, परिणामस्वरूप 1.64 करोड़ रूपये का राजस्व कम वसूल हुआ ।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, 24 मई 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य 1652 वाहनों पर अर्थदण्ड संशोधित दरों के पूर्व की दरों के आधार पर वसूल किया गया, परिणामस्वरूप 11.40 लाख रूपये का कम आरोपण हुआ ।

4.2.3 आन्तरिक नियन्त्रण का अभाव

(i) जन शक्ति नियोजन

(क) कर्मचारियों का परिनियोजन

1999–2000 के दौरान 11 जांच चौकियों पर कर्मचारियों का तुलनात्मक परिनियोजन निम्नानुसार था :

5 बालसमुन्द, हनुमना, खवासा, मुलताई, नयागॉव, फूफ, पिटोल, शाहपुरफाटा, सोहागी, सोयत, तथा सिकन्दरा

जांच चौकी का नाम		स्वीकृत पद संख्या	वास्तविक पद संख्या	जांच किये गये वाहनों की संख्या/चालान किये गये वाहनों की संख्या	प्रति कर्मचारी जांच किये गये वाहनों की औसत संख्या /प्रति कर्मचारी चालान किये गये वाहनों की औसत संख्या	वसूल किया गया राजस्व/ प्रति कर्मचारी चालान किया गया औसत राजस्व (लाख रूपये में)	चालान किये गये प्रत्येक वाहन से अर्जित औसत राजस्व (रूपये)
1		2	3	4	5	6	7
1	बालसमुन्द	15	40	361400 23663	9035 592	492.69 12.31	2082
2	शाहपुरफाटा	14	11	33937 2177	3085 198	54.73 4.97	2514
3	सोहागी	14	12	32163 4408	2680 367	96.75 8.06	2195
4	हनुमना	14	09	23971 2553	2663 284	63.75 7.08	2497
5	सिकन्दरा	11	14	21423 3024	1530 216	62.99 4.50	2083
6	सोयत	10	08	8654 917	1082 115	68.99 8.62	7523
7	मुरैना	14	14	50028 4641	3573 332	120.85 8.63	2604
8	खबासा	14	23	46666 5243	2029 228	125.47 5.46	2393
9	पिटोल	13	11	18577 2254	1689 205	178.90 16.26	7937
10	नयागॉव	14	37	139689 15521	3775 419	314.54 8.50	2026
11	फूफ	12	06	18285 1388	3047 231	51.19 8.53	3688

प्रति कर्मचारी जांच किये गये वाहनों की औसत संख्या बालसमुन्द में अधिकतम 9035 तथा सोयत मे न्यूनतम 1082 थी, जबकि प्रति कर्मचारी चालान किये गये वाहन बालसमुन्द में अधिकतम 592 तथा सोयत में न्यूनतम 115 थे ।

प्रति कर्मचारी वसूल किये गये तथा चालान किये गये प्रति वाहन से प्राप्त औसत राजस्व क्रमशः 4.50 लाख रूपये (सिकन्दरा) तथा 16.26 लाख रूपये (पिटोल) और 2026 रूपये (नयागाँव) तथा 7937 रूपये (पिटोल) के मध्य था । इस प्रकार परिवहन जांच चौकियों पर प्रति कर्मचारी कार्य निष्पादन में व्यापक भिन्नताएं थी । किसी मापदण्ड के अभाव में राजस्व वसूली के संदर्भ में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की दक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(ii) तौल कॉटे का संस्थापन न किया जाना

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 4.2.6 (ग) में अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत, अनुमत्य सीमा तक माल से लदे या खाली वाहन की पुष्टि करने के उद्देश्य से प्रत्येक जांच चौकी पर एक तौल कॉटे के संस्थापन के महत्व पर जोर दिया गया था । हालांकि, तब से विभाग द्वारा कोई भी तौल कॉटा नहीं लगाया गया । मार्च 2001 में 36 जांच चौकियों [6] में से, 3 जांच चौकियों पर मार्च 1995 के पहले संस्थापित किये गये तौल कॉटे कार्य नहीं कर रहे थे तथा संस्थापन हेतु 1994 में क्रय किए गए 5 तौल कॉटों को नहीं लगाया गया था (मार्च 2002) तौल कॉटो के न होने से वाहनों के वास्तविक भार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था ।

(iii) जांच चौकियों की स्थापना में विलम्ब

छत्तीसगढ़ राज्य के सृजन के तुरन्त बाद 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर नई जांच चौकियों की स्थापना की जानी थी।

[6] सिकन्दरा, सोहागी, हनुमना, फूफ तथा पिटोल जांच चौकियों के लिए तौल मशीन 1994 में क्रय की गई थी, लेकिन मार्च 2002 तक प्रदायक द्वारा इन्हें संस्थापित नहीं किया गया था। सेंधवा जॉच चौकी की तौल मशीन को सितम्बर 1996 तथा मार्च 2001 के मध्य तक बाल समुन्द के नए कार्यस्थल पर स्थानान्तरित नहीं किया गया था । खबासा की तौल मशीन (वर्ष 1996 के पूर्व से) नयागॉव की तौल मशीन (वर्ष 1990 से) तथा मुरैना जॉच चौकियों की तौल मशीन कार्यशील नहीं थी । फरवरी 2001 में स्थापित की गई तौल मशीन सहित 27 जॉच चौकियों पर तौल मशीनों के संस्थापन के सम्बंध में कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी ।

लेकिन यह देखा गया कि अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर 5 जांच चौकियों की स्थापना 1 फरवरी 2001 को की गई । स्थापना में विलम्ब के कारण अवधि नवम्बर 2000 से जनवरी 2001 के दौरान 18.28 लाख रूपये[7] के राजस्व की हानि हुई । जांच चौकियों की स्थापना में हुए विलम्ब के कारणों का विभाग द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया और न ही इस सम्बंध में सूचित किया गया (जुलाई 2003) ।

3 वाहन कर तथा शास्ति का अनारोपण/ कम आरोपण

मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम, 1991) तथा उसके अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश कराधान नियम, 1991 (नियम 1991) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए, प्रत्येक वाहन पर कर देय है । यदि किसी मोटर यान पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से शास्ति के लिए दायी होगा लेकिन यह राशि प्रत्येक माह या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए भुगतान न की गई राशि के दुगने से अधिक नहीं होगी। यदि वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी द्वारा एक मांग सूचना–पत्र जारी किया जायेगा एवं देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति की जाना अपेक्षित है।

(क) 23 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2000 तथा मार्च 2002 के मध्य) में पाया गया कि 1493 वाहन स्वामियों द्वारा वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई जिसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गए विवरण के अनुसार 7.87 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व, जिसमें 5.25 करोड़ रूपये की शास्तियॉ भी सम्मिलित थी, की वसूली नहीं की गई :

नए स्थापित जांच चौकियों पर हानि का आंकलन फरवरी 2001 तथा मार्च 2001 के दौरान प्रतिमाह वसूल किए गए औसत राजस्व के अनुसार किया गया है ।

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	कार्यालयों की संख्या	वाहन की संख्या/श्रेणी	अवधि	कर	शास्ति	योग
1	5 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय [8] (क्षे.प.का.) 7 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय [9] (अति.क्षे.प.का.) 10 जिला परिवहन कार्यालय [10] (जि.प.का.)	308 रिजर्व स्टेज वाहन	अप्रैल 1999–मार्च 2002	1.01	2.02	3.03
2	5 क्षे. प.का [8] 7 अति. क्षे.प.का [9] 10 जि.परि.का. [10]	733 माल वाहन	अप्रैल 1998–मार्च 2001	0.64	1.28	1.92
3	1 क्षे. प.का (रीवा) 1 अति. क्षे.प.का (छतरपुर)	परिवहन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए अनुज्ञा पत्र प्राप्त 80 माल यान	अप्रैल 1999–मार्च 2002	0.15	0.29	0.44
4	4 क्षे. प.का [11] 6 अति. क्षे.प.का[12] 9 जि.परि.का. [13]	122 लोक सेवा यान	अप्रैल 1998–मार्च 2001	0.56	1.13	1.69
5	2 क्षे. प.का. (इंदौर तथा जबलपुर) 1 जि.परि.का. (भिण्ड)	11 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र	जुलाई 1999– मार्च 2001	0.09	0.19	0.28
6	3 क्षे. प.का. [14] 7 अति.क्षे. प.का. [15] 1 जि.परि.का. (भिण्ड)	219 ओमनी बर्से	अप्रैल 1998–मार्च 2001	0.11	0.22	0.33
7	3 क्षे. प.का. [16] 1 अति.क्षे. प.का. (कटनी)	20 निजी सेवा वाहन	अप्रैल 1997–मार्च 2001	0.06	0.12	0.18
			योग	**2.62**	**5.25**	**7.87**

8 भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, तथा सागर

9 छतरपुर, धार, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर तथा सिवनी

10 बैतूल, भिण्ड, दतिया, देवास, झाबुआ, नरसिंहपुर, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी तथा विदिशा

11 भोपाल, होशंगाबाद, इन्दौर तथा सागर

12 छतरपुर, धार, कटनी, खण्डवा, मन्दसौर तथा सिवनी

13 बैतूल, भिण्ड, दतिया, देवास, झाबुआ, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी तथा विदिशा

14 भोपाल, इन्दौर, तथा जबलपुर

15 छतरपुर, धार, कटनी, खरगोन, खण्डवा, मन्दसौर, तथा सिवनी,

16 भोपाल, इन्दौर, तथा जबलपुर

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 2001 तथा 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2003) ।

(ख) वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण

अधिनियम, 1991 के अधीन यदि किसी मोटर वाहन पर देय कर का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त प्रत्येक माह या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत्त रकम के एक तिहाई की दर से, किन्तु कर की असंदत्त रकम के दुगने से अनधिक, शास्ति के लिए दायी होगा ।

4 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों,[17] 2 अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों[18] तथा जिला परिवहन कार्यालय सीहोर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जून 2001 तथा फरवरी 2002 के मध्य) कि यद्यपि दिसम्बर 1997 तथा मार्च 2001 के मध्य 6 मालयानों तथा 34 लोक सेवा यानों पर देय कर का भुगतान 01 से 32 माह की देरी से किया गया था लेकिन कराधान प्राधिकारी विलम्बित भुगतानों पर शास्ति के लिए मांग सृजित करने में असफल रहे, परिणामस्वरूप 9.75 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई ।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2003) ।

4.4 संशोधित दरें लागू न करने/ गलत गणना के कारण राजस्व की कम वसूली होना

शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार वाहन कर/यानकर देय है । देय कर वाहन द्वारा तय की गई दूरी से भी सम्बंधित है ।

अति. क्षे. प. का., खण्डवा तथा 4 जिला प. का.[19] के अभिलेखों की नमूना जॉंच में पाया गया (अगस्त 2001, फरवरी तथा मार्च 2002) कि कर की गलत दर के लागू करने या वाहनों द्वारा तय की गई दूरी की गलत

17 भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, तथा सागर

18 छतरपुर, तथा खण्डवा

19 भिण्ड, झाबुआ, सीहोर, तथा शाजापुर

गणना के कारण 95 वाहनों पर यानकर गलत आरोपित किया गया था, परिणामस्वरूप 18.72 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

प्रकरण परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2001, फरवरी तथा अप्रैल 2002) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान भू–राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 114609 प्रकरणों में 88.66 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण / अवनिर्धारण आदि तथा मांग सृजित न करने सम्बंधी प्रकरण प्रकाश में आए, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र के विरूद्ध राजस्व संग्रहण में विलम्ब	24349	41.66
(ii)	पंचायत उपकर का अनारोपण, भू–राजस्व का पुनरीक्षण न होना तथा अर्थदण्ड व शास्तियों की वसूली न होना	71820	18.91
(iii)	नजूल भाटक, प्रब्याजि एवं भू–भाटक का अनिर्धारण / अवनिर्धारण	9612	16.91
(iv)	व्यपवर्तन लगान व प्रब्याजि का अनिर्धारण, निर्धारण में विलम्ब ।	793	2.12
(v)	अन्य	8035	9.06
	योग	**114609**	**88.66**

2001–2002 के दौरान 111346 प्रकरणों में अन्तर्निहित 84.75 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि विभाग ने स्वीकार किया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा, जिनमें 1.86 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

5.2 अवसायिक उद्देश्यों हेतु आवंटित नजूल भूमि पर प्रब्याजि एवं भू–भाटक का कम निर्धारण/ अभिनिर्धारण एवं दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ न करना ।

राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार नजूल भूमि को राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित न्यूनतम दरों या गाइडलाइन्स[1] में दर्शायी गई संपत्ति की दरों, जो अधिक हो, के आधार पर आंकलित किए गए प्रब्याजि के भुगतान पर बिना नीलामी के पट्टे पर दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसी भूमि पर निर्धारित दरों से वार्षिक भू–भाटक वसूली योग्य है।

नजूल कार्यालय, बड़वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ (फरवरी 2001 और नवम्बर 2001) कि दिसम्बर 1997 में 174240 वर्गफुट नजूल भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र में दी गई दर के आधार पर 2.69 लाख रूपये की प्रब्याजि पर एक स्थानीय निकाय को पट्टे पर दी गयी थी। जबकि बड़वानी कार्यालय की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रब्याजि की देय राशि 87.12 लाख रूपये आती है । इसके अतिरिक्त भू–भाटक 6.53 लाख रूपये प्रतिवर्ष के बजाय 0.20 लाख रूपये निर्धारित किया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक की अवधि के लिए प्रब्याजि 84.43 लाख रूपये तथा भू–भाटक 25.32 लाख रूपये का कम निर्धारण/आरोपण हुआ ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 2001 एवं नवम्बर 2001 के मध्य) विभाग ने बताया कि प्रकरणों की जांच कर राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

5.3 प्रक्रिया व्यय शामिल न करना

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (संहिता 1959) एवं मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रकरण को राजस्व प्रकरण पंजी में दर्ज कर मांग सूचना जारी करेगा। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र के माध्यम से सृजित मांग में चूककर्ता द्वारा भुगतान हेतु शेष राजस्व की मूल राशि का 3 प्रतिशत प्रक्रिया व्यय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

दो तहसीलों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (जुलाई और सितम्बर 2001 के मध्य) कि चूककर्ताओं को जारी राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों में 1996–97 से 2000–2001 की अवधि से सम्बन्धित

1 गाइड लाइन्स पंजीयन कार्यालयों में सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण करने में उपयोग की जाती है ।

2 तहसील गुना एवं पाटन (जबलपुर)

मूल राशि 4.91 करोड़ रूपये की मांग का सृजन करते समय 14.70 लाख रूपये के प्रक्रिया व्यय को शामिल नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 14.70 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

प्रकरण आयुक्त, बन्दोवस्त एवं भू–अभिलेख तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी और फरवरी 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

5.4 मांग सृजित न करना

राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 में प्रावधान है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा लगाए गए अर्थदण्ड से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रपत्रों में संधारित किया जाना चाहिए । वसूली हेतु राशि का एक विवरण उस तहसील के तहसीलदार को, जहां चूककर्ता रहता है, **मांग एवं संग्रहण पंजी** में दर्ज करने हेतु भेजा जाना चाहिए । इसके बाद विवरण को तहसीलदार द्वारा इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ कि आवश्यक प्रविष्टि कर दी गयी है, राजस्व अधिकारी को वापस किया जाना चाहिए। यदि चूक कर्ता उसी तहसील में रहता है, प्रकरण को **मांग एवं संग्रहण पंजी** में दर्ज करने तथा मांग सृजित करने एवं उसकी वसूली पर निगरानी रखने हेतु **वासिल वाकी नवीस** को भेजा जाएगा ।

(अ) तीन तहसीलों[3] के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ (अगस्त एवं अक्टूबर 2001) कि अक्टूबर 1998 से सितम्बर 2001 के दौरान आरोपित 11.92 लाख रूपये के अर्थदण्ड एवं शास्तियों के 6,108 प्रकरणों को तहसीलों की मांग एवं संग्रहण पंजी में दर्ज न किए जाने के परिणामस्वरूप 11.92 लाख रूपये की मांग का सृजन नहीं हुआ ।

(ब) राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान है कि राजस्व प्राधिकारी भूमि पर पुनर्निर्धारित लगान की मांग को तहसील अभिलेखों में सम्मिलित करवाने के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा ।

पॉच तहसीलों[4] के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ (नवम्बर 2000 एवं अगस्त 2001 के मध्य) कि 181 प्रकरणों में 1998 – 99 से 1999 – 2000 तक की अवधि से सम्बन्धित व्यपवर्तित लगान एवं प्रब्याजि की राशि 49.78 लाख रूपये की मांग सृजित नहीं की गई।

प्रकरण आयुक्त, बन्दोवस्त एवं भू–अभिलेख एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2001 और दिसम्बर 2001 के मध्य); लेकिन उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003)।

3 बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), लहार (भिण्ड) एवं सिरमौर (रीवा)

4 बड.वाह (खरगौन), हुजूर (भोपाल), महेश्वर (खरगौन), सिरमौर (रीवा) एवं कसरावद (खरगौन)

अध्याय 6 अन्य कर प्राप्तियाँ

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से सम्बंधित अभिलेखों की वर्ष 2001–2002 के दौरान की गई नमूना जांच में 7423 प्रकरणों में 19.65 करोड़ रूपये की राशि के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अनिर्धारण एवं अवनिर्धारण तथा राजस्व की अन्य हानियाँ प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	5159	12.39
(ii)	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम वसूल होना	631	1.74
(iii)	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट	1247	0.79
(iv)	विलेखों के गलत वर्गीकरण से हानि	229	0.58
(v)	अन्य	157	4.15
	योग	**7423**	**19.65**

वर्ष 2001–2002 के दौरान, विभाग ने 6135 प्रकरणों में अन्तर्निहित 13.59 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अवनिर्धारण को स्वीकार किया ।

"विलेखों का गलत वर्गीकरण" पर समीक्षा से प्राप्त कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों, जिनमें 5.13 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है ।

6.2 विलेखों का गलत वर्गीकरण

6.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्तियाँ, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं इनके अधीन विरचित नियमों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अधीन विनियमित होती हैं ।

इन अधिनियमों में प्रावधान है कि विलेखों पर उनकी प्रकृति एवं मूल्य के आधार पर निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्रभारित की जाएगी । सम्यक् रूप से मुद्रांकित न हुए विलेखों को परिबद्ध कर उन विलेखों पर उचित शुल्क के आरोपण हेतु या शुल्क के समुचित भुगतान अथवा विलेख के अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित होने की स्थिति में ऐसे शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए वांछित राशि के भुगतान पर पंजीयन/प्रमाणीकरण हेतु उन्हें मूलतः मुद्रांक संग्राहक (संग्राहक) को प्रेषित किया जाता है ।

6.2.2 संगठनात्मक संरचना

पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक पंजीयन विभाग का प्रमुख होता है जो विभाग की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण एवं समग्र प्रबंधन के लिए कार्य करता है । उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्राहक (संग्राहक) होता है, जो उप पंजीयक कार्यालयों की जांच पड़ताल एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । विलेख तहसील स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में, जिनके प्रमुख उप पंजीयक होते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं । पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, राज्य में 39 जिला पंजीयक तथा 226 उप पंजीयक कार्यरत हैं ।

6.2.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

पंजीकृत विलेखों के वर्गीकरण की शुद्धता को सत्यापित करने तथा इस तथ्य की जांच करने के लिए कि विलेखों को समुचित ढंग से मुद्रांकित किया गया है अथवा नहीं, अवधि अप्रैल 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य

22 उप पंजीयक कार्यालयों[1] के अवधि 1997–98 से 2000–2001 से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच की गई ।

6.2.4 विशेषताएं

परिबद्ध कर जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किए गए 503 विलेखों, जिनमें 2.40 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित था, का 31 मार्च 2001 तक निराकरण नहीं किया गया था, इनमें से 54 प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने थे ।

(कंडिका 6.2.6)

सुस्पष्ट रूप से अलग–अलग मामलों से सम्बंधित 20 विलेखों में से प्रत्येक को एक ही विषयवस्तु से सम्बंधित माने जाने के परिणामस्वरूप 50.04 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.2.7)

सम्पत्ति के हस्तांतरण हेतु निष्पादित मुख्तारनामे के 83 दस्तावेजों में 32.51 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया ।

(कंडिका 6.2.8)

1 अशोकनगर (गुना), भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), गुना, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, कटंगी (बालाघाट), कटनी, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), रतलाम, रायसेन, रीवा, सीहोर, शाजापुर तथा सुसनेर (शाजापुर)

6.2.5 राजस्व वसूली की प्रवृत्ति

पंजीयन विभाग में राजस्व मुख्यतः मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस तथा शास्ति के रूप में उपार्जित किया जाता है । 31 मार्च 2001 को समाप्त 5 वर्षों के दौरान बजट प्राक्कलनों एवं वसूल किए गए राजस्व की स्थिति निम्नानुसार थी :

वर्ष	बजट प्राक्कलन (करोड़ रूपये में)	वास्तविक प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	भिन्नता का प्रतिशत
1996–97	316.68	318.89	(+) 0.70
1997–98	357.00	361.17	(+) 1.17
1998–99	417.00	400.21	(–) 4.03
1999–2000	1980.00	1939.83	(–) 2.00
2000–2001	530.00	477.08	(–) 9.98

यह देखा गया कि विगत तीन वर्षों के दौरान (1998–2001) बजट प्राक्कलनों की तुलना में वसूल किए गए राजस्व में 2 से 10 प्रतिशत तक की कमी रही ।

6.2.6 सम्यक् रूप से मुद्रांकित न किए गए विलेख

यदि कोई विलेख, जिस पर शुल्क प्रभारणीय है, उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यदि अपने कार्यों के निष्पादन में उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा विलेख सम्यक् रूप से मुद्रांकित नहीं है तो उसे जब्त या परिबद्ध किया जा सकेगा । ऐसे विलेखों को शुल्क एवं शास्ति के आरोपण हेतु संग्राहक को प्रेषित किया जाता है । उप पंजीयक द्वारा ऐसे प्रकरणों के निर्वर्तन पर निगरानी रखने के लिए प्रपत्र–18 में एक पंजी का संधारण किया जाता है । संग्राहक को प्रेषित ऐसे प्रकरणों के निर्वर्तन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । फिर भी नियमावली में विहित है कि उप पंजीयक को प्रकरणों के शीघ्र निर्वर्तन के लिए संग्राहक को नियत अवधि पर स्मरण पत्र प्रेषित करना चाहिए ।

11 उप पंजीयक कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 1965 तथा मार्च 2001 के मध्य परिबद्ध तथा संग्राहक को प्रेषित 503 विलेखों का निराकरण नहीं किया गया था, जिनमें से 54

2 दतिया, धार, गंजबासौदा (विदिशा), इन्दौर, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, रतलाम, रायसेन, रीवा तथा सीहोर

प्रकरण 10 वर्षों, 83 प्रकरण 5 वर्षों तथा 266 प्रकरण एक वर्ष से अधिक पुराने थे । उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों के अनुसार इन विलेखों पर 2.40 करोड़ रूपये का शुल्क आरोपणीय था । प्रकरणों के निर्वर्तन न किए जाने के परिणामस्वरूप उपरोक्त राशि के शुल्क की वसूली नहीं हुई । उप पंजीयकों द्वारा संग्राहक को नियत अवधि पर स्मरण पत्र भी जारी नहीं किए गए ।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर सभी उप पंजीयकों ने बताया (जुलाई 2001 तथा मार्च 2002 के मध्य) कि प्रकरणों के शीघ्र निर्वर्तन के लिए संग्राहक से अनुरोध किया जाएगा । प्रकरणों के सम्बंध में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मई 2002) ।

उपरोक्त प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए (मई 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6.2.7 अनेक सुभिन्न विषयों से सम्बंधित विलेख

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 5 के अनुसार अनेक सुभिन्न विषयों से सम्बंधित या समाहित किसी विलेख पर मुद्रांक शुल्क की कुल राशि, जो अधिनियम के अधीन पृथक विलेखों, ऐसे विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित या समाहित प्रत्येक विलेख पर प्रभार्य होती, प्रभार्य है ।

(क) 6 उप पंजीयक कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जुलाई 1997 तथा अक्टूबर 2000 के मध्य पंजीकृत अनेक भिन्न विषयों से सम्बंधित या समाहित 10 विलेखों को उन विषयों में से एक विषय से सम्बंधित/समाहित माना गया । इसके परिणामस्वरूप नीचे दिए गए विवरणानुसार मुद्रांक शुल्क (22.97 लाख रूपये) एवं पंजीयन फीस (2.00 लाख रूपये) का कम आरोपण/कम वसूली हुई :

(i) जिला कांग्रेस कमेटी, छिन्दवाड़ा की भूमि न्यास विलेख की घोषणा के माध्यम से एक ट्रस्ट को उपहार स्वरूप प्रदान की गई (जून 1999) । उपहार पर देय मुद्रांक शुल्क (1.67 लाख रूपये) तथा पंजीयन फीस (0.14 लाख रूपये) आरोपित नहीं की गई ।

3 भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना तथा रतलाम

(ii) उप पंजीयक, इन्दौर द्वारा अक्टूबर 2000 में पंजीकृत एक साझेदारी विलेख में 2.02 करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्ति एक साझेदारी फर्म को उपहारस्वरूप प्रदान की गई । 19.17 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 1.62 लाख रूपये की पंजीयन फीस का आरोपण नहीं किया गया ।

(iii) उप पंजीयक, जबलपुर, भोपाल तथा मुरैना द्वारा मई 1999 से जून 2000 के मध्य पंजीकृत 8 विभाजन विलेखों में, एक सहस्वामी ने अन्य सहस्वामियों के पक्ष में अपने दावे का परित्याग किया । निर्मुक्ति विलेखों पर 2.13 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 0.24 लाख रूपये की पंजीयन फीस का आरोपण नहीं किया गया ।

सभी प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2003)।

(ख) विक्रय की गई भूमि का मूल्य निर्धारण न किया जाना

उप पंजीयक, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (मार्च 2001) कि 10 विक्रय विलेखों में भूमि जो विक्रय की गई, सम्पत्ति का भाग थी, के बाजार मूल्य पर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के आरोपण हेतु निम्न विवरणानुसार विचार नहीं किया गया है :

(i) फ्लेटों के 4 विक्रय विलेखों में (मई से दिसम्बर 2000) यह देखा गया कि एक फ्लेट विक्रेता द्वारा भूमि के विकास तथा भूमि पर निर्माण के बदले में फ्लेटों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की गई थी । इस प्रकार हस्तांतरित भूमि के बाजार मूल्य 1.55 करोड़ रूपये पर 15.29 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 1.24 लाख रूपये के पंजीयन फीस की वसूली नहीं की जा सकी । इस प्रकार शासन को 16.53 लाख रूपये के राजस्व से वंचित कर दिया गया ।

(ii) पट्टे की भूमि पर स्थित फैक्टरी/सम्पत्ति के 6 विक्रय विलेखों में (जुलाई 2000 से मार्च 2001), सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण में भूमि का मूल्य 87.67 लाख रूपये शामिल नहीं किया गया । इस प्रकार भूमि के विक्रय पर आरोपणीय 7.77 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 0.77 लाख रूपये की पंजीयन फीस से शासन को वंचित कर दिया गया ।

इन तथ्यों को इंगित किए जाने पर, उप पंजीयक ने बताया कि विलेख की प्रतियाँ आवश्यक वसूली हेतु संग्राहक को प्रेषित की जाएगी ।

6.2.8 मुख्तार को किसी अचल सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांतरण के अधिकार देने वाले मुख्तारनामा विलेख

अनुच्छेद 48 (एफ–1) के अनुसार, जब किसी अचल सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांतरण के लिए मुख्तार को अधिकृत करने वाला मुख्तारनामा, पति या पत्नी/संतान/माता/पिता/भाई/बहिन को छोड़कर, अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बिना प्रतिफल के किया जाता है, तो मुख्तारनामे पर हस्तांतरण के समान ही शुल्क आरोपणीय होगा । विलेख का निष्पादन/पंजीयन भी विक्रय का ही एक भाग है तथा इस पर विक्रय के लिए लगाया जाने वाला शुल्क ही आरोपणीय है ।

7 उप पंजीयक कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि 83 मुख्तारनामा विलेखों, (मई 1997 तथा मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत) जिनमें अचल सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांतरण का अधिकार बिना प्रतिफल के ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो निष्पादक का पति या पत्नी/माता/पिता/संतान /भाई/बहिन नहीं था, को साधारण मुख्तारनामा मानकर उन पर शुल्क की कम दर प्रभारित की गई । इसके परिणामस्वरूप 29.27 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा 3.24 लाख रूपये की पंजीयन फीस के रूप में 32.51 लाख रूपये का कम आरोपण/कम वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर सम्बंधित उप पंजीयकों द्वारा 59 प्रकरणों में आपत्ति को स्वीकार किया गया; शेष प्रकरणों के सम्बंध में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

6.2.9 उपहार विलेख को गलत तरीके से व्यवस्थापन विलेख मानना

व्यवस्थापन, विवाह के प्रतिफल में या व्यवस्थापनकर्ता की सम्पत्ति का उसके परिवार में या जिनको वह अपनी सम्पत्ति प्रदान करने का इच्छुक है, बंटवारा करने अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को प्रदान करने या किसी धार्मिक या पुण्यात्मक उद्देश्य के लिए किसी अचल या चल सम्पत्ति की लिखित अवसीयती व्यवस्था है । व्यवस्थापन प्रतिसंहरणीय है, जबकि उपहार अप्रतिसंहरणीय है ।

10 उप पंजीयक कार्यालयों [5] के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2001 एवं फरवरी 2002) में पता चला कि जून 1997 एवं मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत 62 अप्रतिसंहरणीय विलेखों जिनमें अचल सम्पत्ति समस्त

4 भोपाल, छिंदवाड़ा, गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), इन्दौर, रतलाम, सुसनेर (शाजापुर)

5 भोपाल, गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, रीवा एवं सीहोर

अधिकारों एवं हकों के साथ हस्तांतरित की गयी, को उपहार के स्थान पर व्यवस्थापन विलेख माना गया । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क 9.03 लाख रूपये एवं पंजीयन फीस 0.02 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर उप पंजीयक, गोहद (भिण्ड) एवं मुरैना ने बताया (जून एवं जुलाई 2001) कि विलेखों की प्रतियाँ शुल्क के उचित आरोपण के लिए मुद्रांक संग्राहक को भेजी जाएगी । उप पंजीयक, भोपाल एवं रायसेन ने कहा (जुलाई एवं अगस्त 2001) कि विभाग के उच्च प्राधिकारियों से उचित मार्गदर्शन लिया जाएगा । अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

6.2.10 कब्जा सहित बिक्री अनुबंध को कब्जा रहित बिक्री अनुबंध मानना

(i) किसी व्यक्ति को दिया प्रस्ताव उसके द्वारा स्वीकार करने पर अनुबंध बनता है । अचल सम्पत्ति के बिक्री अनुबंध में यदि क्रेता को कब्जा हस्तांतरण कर दिया जाता है तो ऐसे विलेखों को हस्तांतरण पत्र माना जायेगा एवं तदनुसार मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।

उप पंजीयक, भोपाल, इन्दौर, मन्दसौर और सीहोर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2001 और मार्च 2002) में पाया गया कि अप्रैल 1997 और मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत बिक्री अनुबंध के 47 विलेखों, जिनमें अचल सम्पत्ति पर कब्जे का हस्तांतरण क्रेता को किया गया, को कब्जा रहित बिक्री अनुबंध माना गया और तदनुसार शुल्क प्रभारित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 7.35 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क कम आरोपित हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर सम्बंधित उप पंजीयकों ने 7.03 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क से सम्बंधित लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा उप पंजीयक, भोपाल के एक प्रकरण के सम्बंध में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

(ii) अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के प्रावधानों के अनुसार, विभाजन, अनुबंध, मुख्तारनामा, समर्पण, अनुबंध का निरस्तीकरण और न्यास की शुल्क की दर की अपेक्षा उपहार, बिक्री, बिक्री का अनुबंध, हस्तांतरण पत्र, निर्मुक्ति और व्यवस्थापन की शुल्क की दर उच्चतर है ।

उप पंजीयक, गंजबासौदा (विदिशा), गुना, इन्दौर, जबलपुर और रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2001 एवं फरवरी 2002 के मध्य) में पाया गया कि जुलाई 1997 और जनवरी 2002 के दौरान

पंजीकृत 15 विलेखों[6] को गलत वर्गीकृत किया गया । इसके परिणामस्वरूप 5.44 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क कम आरोपित एवं वसूल हुआ ।

सात प्रकरणों के बारे में उप पंजीयक, गंजबासौदा (विदिशा), इन्दौर, रीवा एवं जबलपुर ने कहा कि प्रकरण के सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । शेष प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है ।

6.3 सम्पत्तियों के न्यून मूल्यांकन से राजस्व हानि

मध्य प्रदेश में यथा प्रयोज्य भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार किसी सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख में आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण के लिए उसके बाजार मूल्य को विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है । यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि विलेखों में सम्पत्ति का मूल्य सही ढंग से नहीं दर्शाया गया है तो उप पंजीयक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु विलेखों को संग्राहक को संदर्भित करेगा ।

(क) 8 उप पंजीयक कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2001 एवं फरवरी 2002) में पता चला कि अप्रैल 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत किए गए 51 विलेखों में सम्पत्तियों का इकाई मूल्य उसी पटवारी हल्का/वार्ड की समान सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम था । उप पंजीयकों ने प्रकरणों को सम्पत्तियों के बाजार मूल्य एवं आरोपणीय मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के लिए संग्राहक को संदर्भित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में 18.22 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

(ख) मई 1999 से अक्टूबर 2000 के मध्य उपक्रेता के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत 7 अन्य लिखतों में सम्पत्ति का बाजार मूल्य विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया गया बल्कि इसका निर्धारण उस अवधि के दौरान क्रय की दरों से कम दरों पर किया गया । इसके परिणामस्वरूप 6.87 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

6 उपहार को विभाजन (3), बिक्री एवं बिक्री अनुबंध को अनुबंध (2), हस्तांतरण को मुख्तारनामा (1), क्रय को भूखण्ड का समर्पण (1), निर्मुक्ति को बिक्री अनुबंध का रद्दकरण (5) एवं व्यवस्थापन को न्यास (3)

7 दतिया, धार, जबलपुर, मंदसौर, रायसेन, रतलाम, सीहोर एवं सिगरौली (सीधी)

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक तथा शासन को (अगस्त 2000 तथा अप्रैल 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6.4 मुद्रांक शुल्क की गलत छूट/मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना

(क) शासन की अधिसूचनाओं (सितम्बर 1978 एवं मार्च 1982) द्वारा (i) अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के भूमि स्वामी/पट्टेदारों (ii) अन्य भूमि स्वामी/पट्टदारों, जो दस हैक्टर से अनधिक भूमि धारित करते हैं, के द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु ऋण के लिए निष्पादित बंधक/गिरवी के विलेखों को मुद्रांक शुल्क से मुक्त किया गया था । विभागीय अनुदेशों (अगस्त 1989) के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कृषि प्रयोजन, जिसके लिए ऋण लिया गया है, का विलेखों में उल्लेख किया जाना अपेक्षित है ।

21 उप पंजीयक कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (जून 2001 एवं फरवरी 2002) कि 5.59 करोड़ रूपये मूल्य के 449 बंधक विलेखों में (अप्रैल 1998 से फरवरी 2001 तक निष्पादित) ऋण का विशिष्ट प्रयोजन या तो उल्लिखित नहीं था या प्रयोजन कृषि से सम्बंधित नहीं था, अथवा अन्य श्रेणियों के भूमि–स्वामी, जो 10 हैक्टर से अधिक भूमि के धारक है, को गलत ढंग से मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 27.93 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(ख) अधिनियम, 1899 एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 (अधिनियम 1908) में प्रावधान है कि कोई भी विलेख, जिस पर शुल्क प्रभार्य है, सम्यक् रूप से मुद्रांकित एवं पंजीकृत न होने पर उसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा । यदि व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में ऐसा कोई प्रलेख उप पंजीयक की जानकारी में आता है तो उसे परिबद्ध कर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली हेतु संग्राहक को प्रेषित किया जाना चाहिए ।

उप पंजीयक, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (फरवरी 2002) कि एक मुख्तारनामा जिसके द्वारा एक व्यक्ति को रीवा में स्थित 1.26 करोड़ रूपये मूल्य की अचल सम्पत्ति को विक्रय करने या उसको हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया था, सम्यक् रूप से मुद्रांकित नहीं था तथा 20 रूपये मूल्य के एक स्टाम्प पेपर पर नोटरी के समक्ष निष्पादित किया गया था । उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए दो

[8] बेगमगंज (रायसेन), भोपाल, बुरहानपुर (खण्डवा), छिंदवाड़ा, दतिया, धार, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, रीवा, राजपुर (खरगौन), रायसेन, शाजापुर, शुजालपुर (शाजापुर), सीहोर एवं वारासिवनी (बालाघाट)

अनुबंधों के निष्पादन के समर्थन में इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया । लेकिन दस्तावेज को परिबद्ध कर 10.42 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली के लिए संग्राहक को प्रेषित नहीं किया गया ।

इसे इंगित किए जाने पर उप पंजीयक, रीवा ने बताया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 2001 एवं अप्रैल 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6.5 समितियों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विलेखों पर राजस्व हानि

शासन की 24 अक्टूबर 1980 की अधिसूचना के अनुसार, अपने सदस्यों को गृह निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेख मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं ।

6 उप पंजीयक कार्यालयों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 1999 एवं फरवरी 2002 के मध्य) में पता चला कि 4.87 करोड़ रूपये मूल्य की 57 लिखतों में गृह निर्माण उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया था एवं एक लिखत में भूमि का क्रय समिति के बजाय व्यक्तियों द्वारा किया गया था । भूमि क्रय करने का उद्देश्य गृह निर्माण मानते हुए इन लिखतों को शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी, आगामी संवीक्षा में पता चला कि 6 अन्य प्रकरणों में गृह निर्माण उद्देश्य के लिए क्रय की गई 75.67 लाख रूपये मूल्य की भूमि को बाद में अन्य समितियों/व्यक्तियों को बेच दिया गया तथा इसका उपयोग समितियों के सदस्यों के गृह निर्माण उद्देश्य के लिए नहीं किया गया । इस प्रकार प्रदान की गई 57.69 लाख रूपये की छूट (मुद्रांक शुल्क 53.10 लाख रूपये तथा पंजीयन फीस 4.59 लाख रूपये) वसूली योग्य हो गई । विभाग द्वारा प्रकरण के सम्बंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को सूचित किया गया (फरवरी एवं अप्रैल 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

9 भोपाल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, रायसेन एवं रतलाम

6.6 निर्मुक्ति विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का अवनिर्धारण

अधिनियम, 1899 के अनुसार निर्मुक्ति विलेख पर सम्पूर्ण सम्पत्ति, जिस पर दावे का त्याग किया गया, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, के 4 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।
16 उप पंजीयक कार्यालयों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2000 एवं फरवरी 2002 के मध्य) में पाया गया कि 127 निर्मुक्ति विलेखों में, मुद्रांक शुल्क का आरोपण निष्पादक के सम्पत्ति के हिस्से के मूल्य पर किया न कि सम्पूर्ण सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, जिस पर दावे का त्याग किया गया । इसके परिणामस्वरूप 15.29 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2001 एवं फरवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2003) ।

6.7 पंजीयन फीस का कम आरोपण

अधिनियम, 1908 के अनुसार मुख्तारनामा, न्यास एवं प्रतिभूति बंधक विलेखों पर पंजीयन फीस प्रतिफल या सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर देय है ।

5 उप पंजीयक कार्यालयों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2001 एवं फरवरी 2002 के मध्य)कि अप्रैल 1997 तथा मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत 37 मुख्तारनामों, एक न्यास विलेख और 5 प्रतिभूति बंधक विलेखों पर पंजीयन फीस कम दर से प्रभारित की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप पंजीयन फीस के रूप में 11.10 लाख रूपये का कम आरोपण एवं वसूली हुई ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर जिला पंजीयक, रतलाम ने कहा (नवम्बर 2002) कि 5.60 लाख रूपये की वसूली के एक प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा वसूली कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था (जून 2002) ।

10 भोपाल, बुरहानपुर (खण्डवा), देवास, धार, गंजबासौदा (विदिशा), इन्दौर, जबलपुर, करैरा (शिवपुरी), कटनी, कोलारस (शिवपुरी), मंदसौर, रतलाम, रायसेन, सेन्धवा (खरगौन), शिवपुरी और उज्जैन

11 भोपाल, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम एवं सीहोर

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी एवं अप्रैल 2002); उनका उत्तर अप्राप्त है (जुलाई 2003) ।

6.8 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

अधिनियम, 1899 में 1 अगस्त 2000 से प्रभावी संशोधन के अनुसार, जहां पट्टा तीस वर्ष से अधिक लेकिन सौ वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है वहां औसत वार्षिक बाजार भाटक के 8 गुना और पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के योग पर 7.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभार्य है । जब एक पट्टाधारी किसी आवर्ती प्रभार के भुगतान का वचन देता है तो ऐसे प्रभार को भाटक का भाग माना जाता है । इसके अतिरिक्त, पट्टे की अवधि कुछ भी हो, मुद्रांक शुल्क प्रीमियम के 7.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य है ।

उप पंजीयक कार्यालयों धार, जबलपुर तथा रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (अगस्त 2001/फरवरी 2002) कि 9 पट्टा विलेखों में मुद्रांक शुल्क प्रीमियम के 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से प्रभारित की गई थी, 8 विलेखों में आवर्ती वार्षिक विकास प्रभार को भाटक का भाग नहीं माना गया था । 79 वर्षों की अवधि के 8 पट्टा विलेखों में मुद्रांक शुल्क बाजार भाटक तथा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के स्थान पर विलेखों में दर्शाए गए प्रीमियम तथा आरक्षित भाटक पर आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप सितम्बर 1997 तथा जनवरी 2001 के मध्य पंजीकृत इन विलेखों पर मुद्रांक शुल्क (5.10 लाख रूपये) एवं पंजीयन फीस (3.43 लाख रूपये) के रूप में 8.53 लाख रूपये का कम आरोपण/कम वसूली हुई ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6.9 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति न किया जाना

शासन की अधिसूचनाओं (सितम्बर 1989) के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के लिए अधिग्रहीत भूमि के सम्बंध में उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विलेखों के पंजीयन के दिनांक से एक माह के भीतर किया जाना है ।

उप पंजीयक कार्यालय, हरदा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (जुलाई 2001) कि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित किए गए व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित 30 विक्रय विलेखों, मार्च 2000 से मार्च 2001 के मध्य पंजीकृत, पर आरोपणीय 6.11 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मुद्रांक शुल्क 5.57 लाख रूपये, पंजीयन फीस 0.54 लाख रूपये) की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई ।

इसे इंगित किए जाने पर उप पंजीयक, हरदा ने कहा (जुलाई 2001) कि भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों को मॉग पत्र भेजे गए थे । प्रकरण के सम्बंध में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2003) ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को सूचित किया गया (अक्टूबर 2001 एवं जनवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

6.10 शास्ति का अनारोपण

अधिनियम, 1899 में यह अपेक्षित है कि किसी विलेख पर शुल्क की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाले तथ्यों जैसे कि प्रतिफल, यदि कोई हो, सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा अन्य सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को पूर्ण रूप से एवं सही–सही दर्शाया जायेगा । यदि निष्पादक सम्पत्ति का मूल्य कम दर्शाता है या सम्पत्ति के सम्बंध में अपर्याप्त विवरण प्रस्तुत करता है तो उसके अभियोजन एवं प्रत्येक प्रकरण में 5000/– रूपये से अनधिक की शास्ति का भी अधिनियम में प्रावधान है ।

15 उप पंजीयकों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2000 तथा फरवरी 2002 के मध्य) में पता चला कि मई 1997 तथा सितम्बर 2000 के मध्य पंजीकृत किए गए 142 विलेखों[13] में कृषि भूमि एवं भवन के सम्बंध में लिखत की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाले विवरणों जैसे कि सिंचित/असिंचित, भूमि की गुणवत्ता, वृक्षों की संख्या, भूमि/भूखण्ड की स्थिति, भवन निर्माण की स्थितियॉ एवं गुणवत्ता, फर्म की पूंजी, प्रीमियम/भाटक की राशि, कब्जा सौंपा गया अथवा नहीं, के सम्बंध में सही एवं पूर्ण जानकारी उल्लिखित नहीं की गई । इसके अतिरिक्त, मुख्तारनामा के दस्तावेजों में बाजार मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया ।

12 अशोकनगर (गुना), बीना (सागर), भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, गंजबासौदा (विदिशा), गोहद (भिण्ड), ग्वालियर, इन्दौर, मंदसौर, मेहगॉव (भिण्ड), रतलाम, रीवा, सिहोर तथा सुसनेर (शाजापुर)

13 उपहार/विक्रय/निर्मुक्ति (7), मुख्तारनामा (53), पट्टा (62), विक्रय अनुबंध (19) तथा भागीदारी विलेख (1)

विभाग द्वारा किसी भी प्रकरण में अभियोजन अथवा शास्ति आरोपण सम्बंधी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी । शास्ति की अधिकतम राशि 7.10 लाख रूपये आंकलित की गई ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक तथा शासन को (अगस्त 2000 तथा मार्च 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 248 प्रकरणों में 152.15 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला, जिसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रू.में)

क्रमांक		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न करने से हानि	35	79.26
(ii)	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय से हानि	12	16.11
(iii)	वनोपज के ह्रास/ कमी से हानि	64	14.31
(iv)	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व हानि	11	5.09
(v)	वनोपज का लेखांकन न करने से हानि	26	4.71
(vi)	इमारती लकड़ी/बांस के अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण हानि	22	3.91
(vii)	अन्य	78	28.76
	योग	**248**	**152.15**

इनमें से वर्ष 2001–2002 के 55 प्रकरणों में अंतर्निहित 8.94 करोड़ रूपये की हानि आदि को विभाग ने स्वीकार किया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा, जिनमें 8.46 करोड़ रूपये का राजस्व अन्तर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2 वनोपज के निर्वर्तन में विलम्ब के कारण हानि

मध्य प्रदेश वन नियम पुस्तक के प्रावधानों के अनुसार इमारती लकड़ी का उपयोगी जीवन पांच साल है । मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्य प्रदेश, भोपाल ने अनुदेश जारी किए थे (जून 1984) कि वनोपज में और अधिक ह्रास न हो तथा इसके परिणामस्वरूप शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए वनोपज को यथाशीघ्र आगारों को परिवहित कर उसकी नीलामी की जानी चाहिए । भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा जारी किये गए अनुदेशों (फरवरी 1998) के अनुसार अधिक ह्रास से बचने के लिए साल बोरर से प्रभावित कटे वृक्षों को वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व निकटतम विक्रय आगार को भेजा जाना चाहिए ।

वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), पूर्व मंडला के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ (जनवरी 2000) कि पातन वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 से सम्बन्धित 41708 घन.मीटर इमारती लकड़ी, 6424 बल्लियॉं एवं 14732 जलाऊ चट्टे (साल बोरर से प्रभावित) जिनका अवरोध मूल्य 19.95 करोड़ रूपये था, जनवरी 1999 एवं नवम्बर 1999 की अवधि के मध्य की गई नीलामी में 12.73 करोड़ रूपये में विक्रय किए गए जिसके कारण 7.22 करोड़ रूपये की हानि हुई । यह हानि साल बोरर से प्रभावित इमारती लकड़ी एवं जलाऊ चट्टों का कूपों से आगारों तक परिवहन एवं आगारों में उनकी नीलामी में विलम्ब के कारण हुई।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी एवं अप्रैल 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003)।

2.3 इमारती लकड़ी /बांस का कम उत्पादन

(क) इमारती लकड़ी का कम उत्पादन

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा जारी अनुदेशों (जनवरी 1984) के अनुसार क्षेत्रीय शाखा द्वारा निर्धारित इमारती लकड़ी की अनुमानित मात्रा एवं उत्पादन शाखा के अनुसार इमारती लकड़ी के वास्तविक उत्पादन के मध्य 10 प्रतिशत तक का अन्तर मान्य करने योग्य है। उपरोक्त सीमा से अधिक अन्तर की स्थिति में कारणों की जांच की जानी चाहिये और प्राप्त परिणामों से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अवगत कराना चाहिये ।

वन मंडल अधिकारी (सामान्य), कटनी (अप्रैल 2001) एवं वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), रायसेन (दिसम्बर 2001) के अभिलेखों की नमूना जॉंच से ज्ञात हुआ कि 10 कूपों में 2785.56 घन मीटर इमारती

लकड़ी एवं 5578 जलाऊ चट्टों के अनुमानित उत्पादन के विरूद्व वर्ष 1998–99 एवं 2000–2001 में 1505.35 घन मीटर इमारती लकड़ी एवं 4646 जलाऊ चट्टों का उत्पादन किया गया । 10 प्रतिशत का अन्तर मान्य करने के बावजूद भी 1001.669 घन मीटर इमारती लकड़ी एवं 374 जलाऊ चट्टों के कम उत्पादन हुआ इसके फलस्वरूप 69.62 लाख रूपये की हानि हुई । लेकिन जैसाकि वांछित था, कम उत्पादन के कारणों की न तो जांच की गई और न ही इस सम्बन्ध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अवगत कराया गया ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2001 एवं दिसम्बर 2001) वन मंडल अधिकारी, कटनी ने बताया (अप्रैल 2001) कि वनों के ह्रास एवं पुराने फार्म फैक्टर से अनुमानित मात्रा का आंकलन करने के कारण कम उत्पादन हुआ । वन मंडल अधिकारी, रायसेन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2001) कि क्षेत्रीय वन मंडल से वस्तुस्थिति सुनिश्चित कर सूचित किया जाएगा । वन मंडल अधिकारी, कटनी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि फार्म फैक्टर वन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, अतः कम उत्पादन के कारणों की जांच किया जाना वांछित है ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन को फरवरी 2002 एवं अप्रैल 2002 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जुलाई 2003)।

(ख) बांस के कम उत्पादन से हानि

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी अनुदेशों (जून 1995) के अनुसार, बांस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में किसी भी अन्तर की छूट नहीं दी जानी है।

वन मंडल अधिकारी (उत्पादन), दक्षिण बालाघाट के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2000) कि वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में अनुमानित उत्पादन 2400 नो. टन व्यापारिक बांस एवं 2820 नो. टन औद्योगिक बांस के विरूद्व क्रमशः केवल 775 नो. टन[1] व्यापारिक बांस एवं 1755 नो. टन औद्योगिक बांस का उत्पादन किया गया । इमारती लकड़ी के प्रकरण के समान 10 प्रतिशत छूट देने पर भी कमी 22 से 63 प्रतिशत के मध्य रही, परिणामस्वरूप 54.27 लाख रूपये की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर, वन मंडल अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2000) कि सर्वेक्षण हेतु नमूना भू–खण्डों का यादृच्छिक चयन, सिलवी कल्चर की दृष्टि से बासों का विदोहन, कानून व्यवस्था की समस्या के कारण पातन योजना में तीन माह की देरी एवं नक्सलवादी गतिविधियों के कारण परिवहन कर्ताओं के असहयोग के कारण कम उत्पादन हुआ ।

1 बांस के माप हेतु 2400 रनिंग मीटर को एक नो. टन के समतुल्य माना गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, नमूना प्लाटों का चयन वन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, एवं सिल्वी कल्चर की दृष्टि से बांस भिर्रो की सफाई के अतिरिक्त बांस का विदोहन कार्य योजना के अनुसार किया जाना वांछित था । यदि नक्सलवादी गतिविधियों के कारण परिवहनकर्ताओं का असहयोग था तो बांस का परिवहन विभागीय ट्रकों से किया जा सकता था ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं शासन की जानकारी में मार्च 2002 एवं अप्रैल 2002 में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001 – 2002 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 82.16 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश आदि के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण आदि से संबंधित 1234 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयेमें)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र के विरूद्ध राजस्व वसूली न करना/कम करना	589	30.77
(ii)	राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	161	16.29
(iii)	गौण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण एवं संविदा राशि, मुद्राकं शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	93	12.20
(iv)	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण	117	2.66
(v)	अन्य	274	20.24
	योग	**1234**	**82.16**

वर्ष 2001–2002 के दौरान विभाग द्वारा 859 प्रकरणों में अंतर्निहित 49.80 करोड़ रूपये राशि का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 44.96 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

3.2 खनिजों के अवैध उत्खनन से राजस्व हानि

खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन प्रदान की गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनिज पट्टे के वगैर किसी भी क्षेत्र में पूर्वेक्षण या खनन संबंधी कार्य प्रारंभ नहीं करेगा । मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247(7) तथा मध्य प्रदेश पूरक नियम, 1996 के नियम 53 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो विधि सम्मत प्राधिकार के बिना किसी भी खान अथवा खदान क्षेत्र से कोई उत्खनन करता है, अथवा खनिज निष्कासित करता है, तो वह इस प्रकार से उत्खनित अथवा निष्कासित खनिजों के बाजार मूल्य से दुगुने से अनधिक तक शास्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा । शास्ति की यह राशि 1000 रूपये से कम नहीं होगी और राज्यांश की दस गुना तक, जो भी अधिक हो, हो सकती है ।

(क) कटनी जिले में क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर के निरीक्षण दल द्वारा (दिसम्बर 1999 से मार्च 2001 के बीच) 1,42,576 मीट्रिक टन संगमरमर के अवैध उत्खनन के दो प्रकरणों को संसूचित किया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि अवैध उत्खनन कर्ताओं के विरूद्ध 150 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से राज्यांश की राशि 2.14 करोड़ रूपये के दस गुना के बराबर 21.39 करोड़ रूपये की शास्ति के आरोपण एवं वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

(ख) झाबुआ जिले में मुख्य एवं गौण खनिजों से अवैध उत्खनन के दो प्रकरणों में (1996–97 एवं 1999–2000 के मध्य) 53 लाख ईंटों तथा 2115 मी.टन मेंगनीज पर आरोपणीय शास्ति 1.27 करोड़ रूपये के विरूद्ध कलेक्टर द्वारा केवल 0.08 लाख की शास्ति आरोपित की गई जिसके फलस्वरूप 1.27 करोड़ रूपये की हानि हुई । अवैध खनिज उत्खनन के सात अन्य प्रकरणों में (1997–98 से 2000–2001 के मध्य*) कलेक्टर द्वारा अप्रैल 2001 से जुलाई 2001 की अवधि में 11.89 लाख रूपये की शास्ति का आरोपण किया गया, जिसमें से केवल 0.50 लाख की राशि की वसूली हुई । शेष राशि रूपये 11.39 लाख वसूली हेतु लंबित थी ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को अप्रैल 2002 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

3.3 कोयले के कम लेखांकन से राजस्व हानि

अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनिज निष्कासन के समय द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर राज्यांश देय होता है ।

खनन अधिकारी, शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2001) में पाया गया कि एक पट्टेदार[1] द्वारा अप्रैल 1998 से फरवरी 2001 की अवधि में 11 खदानों से 51.72 लाख टन कोयला स्थानान्तरित किया गया, जबकि प्राप्तकर्ता खदानों द्वारा केवल 39.53 लाख टन कोयला का लेखांकन किया गया, जिसके फलस्वरूप 12.19 लाख टन कोयला का कम लेखांकन हुआ जिसमें रूपये 70 प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम दर से 8.53 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी ।

प्रकरण जून 2001 में संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

8.4 गलत दर लागू करने के कारण राज्यांश की कम वसूली

अधिनियम, 1957 के अनुसार पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से हटाये गये अथवा उपयोग किये गये खनिज पर विनिर्दिष्ट दरों से राज्यांश का भुगतान करेगा । राज्यांश की दरें 11 अप्रैल 1997 से पुनरीक्षित की गई ।

खनन कार्यालय, शहडोल एवं छिंदवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (अप्रैल एवं मई 2001) कि अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1998 तथा फरवरी 2000 से नवम्बर 2000 के बीच दो पट्टेदारों द्वारा 312435.3 टन कोयला सी ग्रेड (0.91 लाख मीट्रिक टन) तथा बासरी ग्रेड II (2.21 लाख मीट्रिक टन) खनिज क्षेत्र से हटाया गया, जिस पर क्रमशः रू. 95/– तथा रू. 135/– प्रति मीट्रिक टन की दर से राज्यांश भुगतान योग्य था, जबकि राज्यांश का भुगतान कम दरों पर किया गया, फलस्वरूप शासन को 1.64 करोड़ रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को मई एवं जून 2001 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

8.5 राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र (आर.आर.सी.) का अनुपालन न किए जाने के कारण राज्यांश के बकाया की वसूली न होना

अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, राजस्व वसूली प्रमाण प्रमाण–पत्र जारी कर खनन के बकाया राजस्व की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करने के लिए खनन अधिकारियों को अपर तहसीलदार की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थीं, (नवम्बर 1969) । विभागीय अनुदेशों (अगस्त 1989) में खनन

1 साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड

अधिकारियों को राज्यांश की बकाया राशि की वसूली पर लगातार कड़ी निगरानी रखने तथा इस सम्बंध में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था ।

(1) 8 खनन कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया (मार्च एवं अक्टूबर 2001) कि 31 मार्च 2001 को 10.09 करोड़ की राशि, जिसमें 7.65 करोड़ रूपये की शास्ति भी सम्मिलित थी, वसूली हेतु लंबित थी । खनन अधिकारियों ने उन्हें निहित अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, फलस्वरूप 10.09 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(2) खनन अधिकारी, शाजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2001) में पता चला कि वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 की अवधि में 80.10 लाख रूपये के बकाया खनन राजस्व की वसूली हेतु वसूली अधिकारी के रूप में अपने स्तर से कार्रवाई न करते हुए, 39 राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के प्रकरण विभिन्न तहसीलदारों को भेजे गये, इससे 80.10 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को (मई 2001 एवं फरवरी 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

8.6 अनिवार्य किराया / राज्यांश का कम आरोपण

खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों एवं पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टेदार को पट्टा क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर राज्यांश अथवा अनिवार्य किराया, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा । यदि अनुबंध की शर्तों के अनुसार पट्टेदार अनिवार्य किराया/राज्यांश के भुगतान में चूक करता है तो शासन पट्टे को निरस्त कर सकता हैं एवं पट्टेदार की जमा प्रतिभूति राशि को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः राजसात कर सकता है।

(i) हीरा अधिकारी, पन्ना एवं 4 खनन कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 16 पट्टेदारों ने पट्टे पर दिए क्षेत्र से उत्खनित खनिज पर देय राज्यांश 4.03 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3.57 करोड़ रूपये का भुगतान किया, इससे शासन को 46.38 लाख रूपये के राज्यांश/अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई ।

2 बालाघाट, छतरपुर, कटनी, खरगौन, मुरैना, सतना, सीधी, एवं उमरिया

3 बड़वानी, झाबुआ, रीवा, सतना

इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2001) 4 खनन अधिकारियों ने बताया (अगस्त–नवम्बर 2001) कि मांग हेतु नोटिस जारी किए जा चुके हैं/किए जाएंगे । हीरा अधिकारी, पन्ना ने बताया (सितम्बर 2001) कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर स्थिति से अवगत कराया जाएगा ।

(ii) चार खनन कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (सितम्बर एवं अक्टूबर 2001 के मध्य) कि अक्टूबर 1993 से जुलाई 2009 की अवधि हेतु 41 उत्खनि पट्टे स्वीकृत किए गए, यद्यपि पट्टेदारों ने नवम्बर 1993 से मार्च 2001 तक की अवधि के लिए अनिवार्य किराये की राशि 43.09 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया गया ।

तथापि विभाग ने पट्टेदारों के विरूद्ध पट्टे के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को (मई 2001 तथा फरवरी 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

8.7 राज्यांश के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 64–ए के अनुसार यदि पट्टेदार विनिर्दिष्ट समयावधि में राज्यांश का भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह भुगतान की नियत दिनांक की समाप्ति की दिनांक से 60 वें दिन से 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा ।

खनन कार्यालय, बालाघाट के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला (मार्च 2001) कि खनन पट्टे के एक पट्टेदार ने अक्टूबर 1998 से दिसम्बर 2000 के दौरान 8.72 करोड़ रूपये के राज्यांश का भुगतान, भुगतान की नियत दिनांक की समाप्ति से 60 वें दिन के बाद 1 माह से 18 माह तक विलंब से किया गया, लेकिन विलंबित भुगतान पर प्रभारणीय 23 लाख रूपये का ब्याज न तो आरोपित किया गया और न ही उसकी वसूली की गई (अगस्त 2001) ।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2001); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

4 बालाघाट, बड़वानी छतरपुर,एवं धार

9 – क : लोक निर्माण प्राप्तियाँ

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान लोक निर्माण प्राप्तियों एवं वापसियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 737 प्रकरणों में 2.27 करोड़ रूपये राशि की कम वसूली एवं राजस्व हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	शासकीय भवनों एवं आवासों के सम्बन्ध में लायसेंस फीस की वसूली न करना / कम करना	155	0.77
(ii)	निक्षेप कार्यों पर प्रतिशतता प्रभारों की कम वसूली	001	0.45
(iii)	तकनीकी कर्मचारियों का नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	260	0.12
(iv)	पथकर की कम वसूली	003	0.03
(v)	अन्य	318	0.90
	योग	737	2.27

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 0.51 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

9.2 निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को किराये पर दिये गये शासकीय भवनों पर लायसेंस फीस का अनारोपण/कम आरोपण

शासन के स्पष्टीकरण (नवम्बर 1985 और जनवरी 1986) सहपठित मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली, 1983 के प्रावधानों के अनुसार निजी व्यक्ति, कम्पनी, क्लब, संघ अथवा स्थानीय निकाय को किराये पर दिए गए शासकीय आवास पर लायसेंस शुल्क की वसूली विहित दरों या कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर के अनुसार, जो भी उच्चतर हो, की जाएगी । कलेक्टर, ग्वालियर ने वर्ष 1990 में रूपये 1.50 प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित की थी।

संभाग[1] क्रमांक–1, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (नवम्बर 2001) कि 2 शासकीय भवन जिनका कुर्सी क्षेत्र 11330 तथा 2400 वर्ग फीट था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्वालियर को किराए पर दिए गए थे तथा क्रमशः 1178 रूपये एवं 610 रूपये प्रतिमाह की दर से किराये की वसूली की जा रही थी, जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम थी, फलस्वरूप अप्रैल 1995 से मार्च 2001 की अवधि में 13.54 लाख रूपये की कम वसूली की गई ।

यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर ने बताया कि अप्रैल 2001 से मोती महल शाखा से 3600 रूपये प्रति माह की दर से किराए की वसूली की जा रही थी, तथा इस शाखा से शेष राशि की तथा दूसरी शाखा से बाजार दर से वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को अक्टूबर 1998 एवं मई 2002 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

9.3 दुकानों की लायसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली न करना

अप्रैल 1992 में जारी एवं जुलाई 1993 में यथाप्रवर्धित शासन के आदेशों में पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भी पट्टेदारों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई दुकानों के आवंटन को नियमित करने का निर्णय लिया गया । बकाया राशि के भुगतान और 3 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से पट्टा किराया के भुगतान आदि के अध्यधीन पट्टों का नवीनीकरण किया जा सकता था अथवा दुकानों को खाली करवा कर उन्हें पुनः आवंटित किया जाना था ।

दो[2] लोक निर्माण संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (अगस्त एवं सितम्बर 2001) कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी अनधिकृत रूप से दुकानों पर कब्जा किये 98 निजी दुकानदारों

1 लोक निर्माण (भवन एवं पथ) संभाग

2 संधारण सम्भाग – II, भोपाल एवं सम्भाग – I, इंदौर

से न तो दुकानों को खाली कराया गया और न ही पट्टों के नवीनी करण हेतु कोई कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1995 से मार्च 2001 तक की अवधि से संबंधित 24 लाख रूपये के लायसेंस शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर और दिसम्बर 2001 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

9.4 दण्डिक दर से लायसेंस फीस का अनारोपण/वसूली न करना

किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा निवृत अथवा स्थानांतरण आदि होने की तिथि से चार माह की अनुमत्य अवधि के पश्चात उसके द्वारा सरकारी आवास खाली न करने की स्थिति में वह मूलभूत नियम 45 क (iv) के अंतर्गत निर्धारित लायसेंस शुल्क की दर के चार गुने या प्रचलित बाजार दर से, जो भी अधिक हो, लायसेंस शुल्क के भुगतान के दायित्वाधीन है। अनधिकृत आधिपत्य की स्थिति में, आवास के खाली कराने के लिए कार्रवाई करने के अतिरिक्त लायसेंस फीस बाजार दर पर वसूली योग्य है ।

लोक निर्माण संभाग – I, इंदौर के एक प्रकरण में यह पाया गया (अगस्त 2001) कि एक सरकारी कर्मचारी बिना आवंटन के शासकीय आवास में अनधिकृत रूप से कब्जा किये था, एवं स्थानांतरण (1), सेवा निवृति (7) एवं अनधिकृत आधिपत्य (26) के 34 अन्य प्रकरणों में सरकारी आवास 4 माह की अनुमत्य अवधि की समाप्ति के बाद भी न तो खाली कराये गए और न ही लायसेंस फीस आरोपित की गयी, फलस्वरूप अप्रैल 1998 से मार्च 2001 की अवधि में 13.71 लाख रूपये की लायसेंस फीस आरोपित/वसूल नहीं की गयी।

प्रकरण प्रमुख अभियंता एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2001 एवं जनवरी 2002); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

9 – ख : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

9.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2001–2002 के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्राप्तियों एवं वापसियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 565 प्रकरणों में 2.11 करोड़ रूपये का कम निर्धारण एवं राजस्व हानियाँ प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या		प्रकरण संख्या	राशि
(i)	जब्त माल का निर्वर्तन न किया जाना	213	1.83
(ii)	अन्य	352	0.28
	योग	**565**	**2.11**

1.47 करोड़ रूपये के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है ।

9.6 जब्त माल का निर्वर्तन न किया जाना

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अधिनियम के प्रावधानों के संशयास्पद उल्लंघन की दशा में लायसेंस प्राप्त व्यापारियों के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान करता है । अपराध सिद्ध हो जाने पर जब्त/अधिहरित किए गए माल की नीलामी किया जाना तथा विक्रय धन को शासकीय खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

4 खाद्य[3] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (अगस्त एवं दिसम्बर 2001 के मध्य) कि सितम्बर 1995 एवं अगस्त 1999 के मध्य 1.41 करोड़ रूपये मूल्य की 205 आवश्यक वस्तुओं (गैस सिलेन्डर, रेगूलेटर, कैरोसिन तेल, गेहूँ, चावल आदि) की जब्ती की गई एवं न्यायालयीन आदेशों के अंतर्गत सितम्बर 1996 और मार्च 2001 के मध्य उन्हें शासन के पक्ष में अधिहरित कर लिया गया, लेकिन जब्त की गई वस्तुएं 3 से 59 माह की अवधि तक (मार्च 2001) अनिर्वर्तित स्थिति में पड़ी रही, परिणामस्वरूप 1.41 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अधिहरित वस्तुओं का क्षय होने से शासन को हानि संभावित है ।

[3] गुना, ग्वालियर, इंदौर तथा शिवपुरी

प्रकरण संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा शासन को (अक्टूबर 2001 तथा मई 2002 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

9.7 गोदाम की लायसेंस फीस की कम वसूली

शासन के आदेशानुसार (दिसम्बर 1981) सहपठित निर्माण कार्य मेन्युल के प्रावधानों एवं आदेश (जून 1979) एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण (अगस्त 1982) के अनुसार कुर्सी क्षेत्र 75 वर्गमीटर या इसके अधिक होने की स्थिति में केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा देय लायसेंस फीस 2.55 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित की जानी थी।

खाद्य अधिकारी, बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ (जनवरी 2000) कि 1524 वर्ग मीटर का एक गोदाम नवम्बर 1979 से केन्द्रीय भाण्डागार निगम के आधिपत्य में था, लेकिन यह पाया गया कि रूपये 2.55 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय/आरोपणीय 3886 रूपये प्रतिमाह की लायसेंस फीस के विरूद्ध 1550 रूपये प्रतिमाह की लायसेंस फीस आरोपित की गई थी, फलस्वरूप नवम्बर 1979 से दिसम्बर 1999 तक की अवधि से सम्बंधित 5.65 लाख रूपये की लायसेंस फीस की कम वसूली हुई । प्रकरण संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2000 एवं जनवरी 2002 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2003) ।

भोपाल
दिनांक

(गार्गी कौल)
28 OCT 2003 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वितीय
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
7 NOV 2003 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

©
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2003

मूल्य : रूपये 65 /-